

65वीं वार्षिक रिपोर्ट

65th Annual Report

2020-21



दि फर्टिलाइजर कापोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

65वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21
65th Annual Report 2020-21

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	2
सूचना/Notice	5
प्रबंध निदेशक का भाषण/Chairman's Speech	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	8
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	54
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी/Comments of the Comptroller and Auditor General of India	94
तुलन-पत्र/Balance Sheet	96
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	99
अनुसूची 1 से 24/Note 1 to 24	101
लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Financial Statement	129
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	159



निदेशक मंडल

श्री धर्म पाल, आई.ए.एस.

अतिरिक्त सचिव

उर्वरक विभाग

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार

(22.02.2018 से)

श्री निरंजन लाल

निदेशक

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार

(04.10.2017 से)

श्री अनिल कुमार वी. पाटिल

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(08.09.2016 से)

श्री हरविंदर सिंह

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(14.11.2018 से 20.04.2020)

श्री जोहन टोपनो

निदेशक,

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(20.04.2020 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Dharam Pal, IAS

Additional Secretary,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional Charge of Chairman &

Managing Director

(w.e.f. 22.02.2018)

Shri Niranjan Lal

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional Charge of Director (Finance)

(w.e.f. 04.10.2017)

Shri Anilkumar V. Patil

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 08.09.2016)

Shri Harvinder Singh

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 14.11.2018 to 20.04.2020)

Shri Johan Topno

Director,

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 20.04.2020)



प्रमुख कार्यपालक

श्रीमती रेखा शर्मा

उप सचिव (पी.एस.यू.) एवं सतर्कता
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(06.07.2017 से)

श्रीमती सिओन कोंगारी
सलाहकार

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालक – एकक

श्री यू.सी. गौड़
प्रभारी, सिन्दरी एकक

श्री ए.एन. तिवारी
सलाहकार एवं प्रभारी, गोरखपुर एकक

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी
प्रभारी, रामागुण्डम एकक

श्री डी. पांडा
प्रभारी, तलचर एकक

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	-	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	-	तेलंगाना

PRINCIPAL EXECUTIVES

Smt. Rekha Sharma

Dy. Secretary (PSU) & Vig.
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 06.07.2017)

Smt. Sion Kongari

Advisor

Shri K.L. Rao

Officer on Special Duty

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri U.C. Gaur

Incharge, Sindri Unit

Shri A.N. Tiwari

Advisor Cum-Incharge, Gorakhpur Unit

Smt. M.N. Maleshwari

Incharge, Ramagundam Unit

Shri D. Panda

Incharge, Talchar Unit

Shri R.L. Deshbhratar

Incharge, Korba Division

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	-	Jharkhand
Gorakhpur Unit	-	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	-	Telangana



तलचर एकक	-	ओडिशा
कोरबा प्रभाग	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्प्लैक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
केनारा बैंक

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स हम्मूराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

Talcher Unit	-	Odisha
Korba Division	-	Chhattisgarh
Central Office	-	Noida (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201 301

AUDITORS

M/s. Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants, New Delhi

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
Canara Bank

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi



सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021, दोपहर 12 बजे, कांफेन्स रूम, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

- “31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सी ए जी की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।”
- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-
“भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित किया जाता है।”

बोर्ड के आदेश से
ह०/-
(निरंजन लाल)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : 09.12.2021

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी
प्रतिलिपि :-

- मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, (डीई 2725)
23, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Friday, the 17th December, 2021 at 12 noon in the Conference Room, 2nd Floor, 'A' Wing, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business:-

- “To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report and CAG Comments for the year ended 31st March, 2021”.
- To consider, if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

“Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2021-2022 be fixed by the Board of Directors of the Corporation.”

By Order of the Board

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)

Dated : 09.12.2021

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:
All Shareholders.

Copy to:-

- M/s. Deepak Gulati & Associates,
Chartered Accountants, (DE 2725)
23, Hanuman Road, Cannought Place,
New Delhi-110001
- Chairman, Audit Committee.



एफ.सी.आई.एल. की 65वीं वार्षिक साधारण बैठक
में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण।

प्रिय शेयर धारकों, महिलाओं और सज्जनों,

निदेशक मण्डल की ओर से, मैं आज आयोजित होने
वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी
की 65वीं वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का
स्वागत करता हूँ।

प्रारम्भ में, यह सूचित किया जाता है कि निदेशकों की
रिपोर्ट एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक लेखा प्रत्याक्षित साथ में संविधिक लेखा परीक्षा
रिपोर्ट और उस पर सी.ए.जी. की टिप्पणियों को पहले
ही प्रसारित किया जा चुका है। आपकी अनुमति से, मैं
उन्हें पढ़ा हुआ समझ लेता हूँ।

वित्तीय निष्पादन:

मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि
आपकी कंपनी ने रु. 61.46 करोड़ कर पूर्व लाभ और
रु. 51.05 करोड़ कर पश्चात लाभ अर्जित किया है।
कंपनी का नेटवर्थ रु. 631.86 करोड़ है। कंपनी की
आय मुख्यतः एककों के कबाड़/अनुपयोगी मदों की
बिक्री, एफ.डी. से प्राप्त ब्याज एवं ए.सी.सी. द्वारा एफ.
सी.आई.एल. की रेल लाईन उपयोग करने हेतु दी गई
लाइसेन्स फीस द्वारा है।

लाभांश:

यद्यपि कंपनी ने रु.51.05 करोड़ कर पश्चात लाभ
अर्जित किया है, परन्तु कंपनी का संचयी घाटा
रु.185.35 करोड़ है। कंपनी अधिनियम के इस
प्रावधानों के मदेनजर कि कोई भी कंपनी तब तक
अपना लाभांश घोषित नहीं करती जब तक पहले का

Chairman's speech at the 65th Annual General Meeting (AGM) of FCIL

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I welcome all the Shareholders to the 65th Annual General Meeting of your Company for the Financial Year 2020-21 being held today.

At the outset, it is informed that the Directors' Report and Audited Annual Accounts for the year ended 31st March 2021, together with Statutory Auditors' Report and comments of CAG thereon have already been circulated. With your permission, I take them as read.

Financial Performance:

I am pleased to inform you that your Company has earned PBT of Rs.61.46 crore and PAT of Rs.51.05 crore. The net worth of the Company is Rs.631.86 crore. The income to the Company is mainly on account of sale of scrap/unusable items of the units, interest from FDRs, and licence fee from ACC for using the FCIL Rail Line.

Dividend:

Although the Company has earned PAT of Rs.51.05 crore, the cumulative loss to the Company stands at Rs. 185.35 crore. In view of the provisions of Companies Act, that no company declares dividend unless carried



घाटा और पूर्व वर्ष। वर्षों के मूल्यहास का प्रावधान न होना, चालू वर्ष के कंपनी के लाभ के विपरित है, अतः कंपनी बोर्ड ने लाभांश घोषित न करने का निर्णय लिया है।

भविष्य में संभावना:

रामागुण्डम एकक का पुर्नउद्घार आर.एफ.सी.एल. द्वारा किया गया तथा 22.3.2021 से चालू हो गया है। गोरखपुर एकक का पुर्नउद्घार हर्ल द्वारा किया गया तथा 7.12.2021 को चालू हो गया है। सिंद्री इकाई का कस्टक्शन हर्ल द्वारा 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। तलचर एकक टी.एफ.एल. द्वारा पुर्नरुद्घार किया जा रहा है। एफ.सी.आई.एल. इन सभी संयुक्त उद्यमों में 11 प्रतिशत की इक्विटी है। सिवाय टीएफएल के जहाँ इस की इक्विटी भागीदारी 4.45 प्रतिशत है प्रत्येक कारखाना प्रति वर्ष में 12.7 लाख मिट्रीक टन यूरिया उत्पादन करेगा। हर्ल एवं आर.एफ.सी.एल. जहाँ गैस पर आधारित है, टी.एफ.एल. प्रोजेक्ट एक कोयले पर आधारित प्रोजेक्ट है।

आभार:

मैं इस अवसर पर आपको और उर्वरक विभाग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने पूरे हृदय से निरंतर समर्थन दिया है। मैं अन्य मंत्रालयों एवं केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

आप सभी का पुनः धन्यवाद।

ह.

(निरंजन लाल)
निदेशक (वित्त)
चेयरमेन

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 17.12.2021

over previous losses and depreciation not provided in previous year or years are set off against profit of the company for the current year, the Board of the Company has decided not to declare dividend.

Future outlook:

Ramagundum Unit has been revived by RFCL and commissioned on 22.3.2021 Gorakhpur Unit has been revived by HURL and commissioned on 7.12.2021 and the physical construction at Sindri Unit has been completed by 99% Talchar Unit is being revived by TFL. FCIL is a partner to these JVs with having 11% equity in HURL & RFCL and 4.45% in TFL. Each plant will produce 12.7 Lakh MT per annum of Urea. Whereas HURL & RFCL projects are gas-based the TFL project is a coal-based project.

Acknowledgement

I take this opportunity to express my sincere thanks to you and to the Department of Fertilizers, who have given whole-hearted and continuous support. I also thank to other Ministries and Officers of the Central and State Governments for their support.

Thank you all once again.

Sd/-
(Niranjan Lal)
Director (Finance)
Chairman

Place : New Delhi

Date : 17.12.2021

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2019-2020 के 52.77 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2020-2021 में 51.05 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूँजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड़ रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान जीएसटी, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 5.34 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 65th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the Auditors' Report for the year ended 31st March 2021.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company earned a net Profit of Rs.51.05 Crore in 2020-2021 as against a net profit of Rs.52.77 crore during 2019-2020.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore during FY 2020-21.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs.2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs.7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.5.34 crore by way of GST, Service Tax, Sales Tax, Excise Duty, Income Tax, Electricity Duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 उत्पादन निष्पादन

संयंत्रों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए/ कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में चार इकाइयों का पुनरुज्जीवन हो रहा है।

7.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में 3 बोर्ड निदेशकों के साथ एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफरिशों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रु.11.16 लाख का योगदान दिया।

8.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और इन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। यहाँ इसलिए कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GoI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent upon the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, four of the units are currently under revival.

7.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance to Section 135(1) of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has been constituted with 3 Board Directors. As recommended by the Committee, the Company has made a contribution of Rs.11.16 lakh in Prime Minister's National Relief Fund in the year 2020-21.

8.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.



9.0 कम्पनी का पुनरुज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के संस्तुति के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये और कम्पनी के सभी एककों में उपलब्ध विकसित आधारभूत संरचना को देखते हुए भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े उर्वरक एककों को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय (कंपनी का अधिकार क्षेत्र) ने, जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों के तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था और मामले को कंपनी के पुनर्जीवन के लिए बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एककों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

“गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ‘सिद्धान्त रूप में’ निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरुज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये”।

- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी और आगे चलकर वर्ष 2015 में संशोधन किया।

9.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004, considering the large demand-supply gap of Urea in the country, and the availability of fully-developed infrastructure in all the units of the Company, Government of India felt that it is essential to revive the closed fertilizer units. The Hon'ble High Court of Delhi (Company Jurisdiction), where the Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken into cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006 and referred the matter to BIFR for its consideration for revival.

- Considering the availability of fully-developed land along with water and power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

“decided ‘in principle’ to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas”.

- Government of India approved new investment policy for the Urea Sector in the year 2012 and subsequently amended the same in the year 2015.



ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

एमपावर्ड कमेटी ऑफ सैकेट्रीस (ई.सी.ओ.एस.) की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरुज्जीवन के अन्य पैरामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि निवल पूँजी को घनात्मक बनाया जा सके जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कम्पनी को पुनरुज्जीवित किया जा सके।

पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

रामागुण्डम एकक

- एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम मै. रामागुण्डम फर्टिलाजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर एफ सी एल) का 17.2.2015 को गठन किया गया है। एफ सी आई एल को यूनिट के आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिये 11 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।
- आर एफ सी एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) एफ सी आई एल के नामित निदेशक हैं।
- एफ सी आई एल और आर एफ सी एल के बीच रियायत समझौता और पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर हो गये हैं। आर एफ सी एल और एफ सी आई एल के मध्य प्रतिस्थापन समझौता हुआ है।
- आर एफ सी एल ने 22.03.2021 से व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

CCEA Approval of ECOS Recommendation

On the recommendations of Empowered Committee of Secretaries (ECOS), CCEA on 4.8.2011 approved the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of Gol loan & interest to make FCIL a positive net worth Company and to enable FCIL to take up the revival as approved by CCEA earlier.

Present Status of Revival

Ramagundam Unit :

- A Joint Venture 'Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited' (RFCL) has been incorporated on 17.2.2015 with the participation of NFL, EIL & FCIL. FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL, is the FCIL nominated Director on the Board of RFCL.
- Concession Agreement & Lease Agreement have been signed between FCIL & RFCL. Substitution Agreement has been signed amongst RFCL, Lenders 'representative of RFCL and FCIL'.
- RFCL has started commercial production w.e.f. 22.3.2021.



तलचर एकक

- आर.सी.एफ., सी.आई.एल, गेल और एफ सी आई एल की भागीदारी से 31.05.2016 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, (टी एफ एल) का गठन हुआ है।
- एकक की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के बदले में एफ सी आई एल को 4.45 प्रतिशत इक्विटी मिलेगी।
- टी एफ एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) नामित निदेशक हैं।
- पी डी आई एल द्वारा तैयार किये गये टी ई एफ आर पर रिपोर्ट को एस बी आई सी ए पी एस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
- संयुक्त उद्यम ने कोयला पर आधारित यूरिया फर्टिलाइजर कम्प्लैक्स लगाने के लिये शैल कोल गैसीफिकेशन टेक्नोलॉजी को चुन लिया है।
- संयुक्त उद्यम को तलचर में (अर्कापल के उत्तर में) कोयला खदान आवंटित किया गया है।
- मै. वुहुआन इन्जीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, चीन को कोल गैसीफिकेशन पैकेज का ठेका दिया गया है।

सिन्दरी और गोरखपुर एकक

- केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक 13.07.2016 को एच.एफ. सी.एल. की बरौनी इकाई के साथ सिंदरी एवं गोरखपुर इकाई को नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एन.टी. पी.सी., सी.आई.एल. एवं आई.ओ.सी.एल. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। एफ.सी.आई.एल. एवं एच.एफ.सी.एल. भी इसमें संयुक्त उद्यम भागीदार रहेंगे और भूमि उपयोग, प्रयोग करने योग्य संपत्ति एवं अवसर लागत के बदले में उन्हें प्रत्येक परियोजना के बदले 11% इक्विटी प्राप्त होगी।

Talcher Unit:

- A Joint Venture Company, namely 'Talcher Fertilizers Limited' (TFL) has been incorporated 31.05.2016 with the participation of RCF, CIL, GAIL & FCIL.
- FCIL to get 4.45% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL is the nominated Director on the Board of TFL.
- SBICAPS have submitted their Report on TEFR prepared by PDIL.
- The Joint Venture has selected Shell Coal Gasification Technology for setting up a coal-based Urea Fertilizer Complex.
- The Joint Venture has been allocated Coal Mine (North of Arkapal) in Talcher.
- Contract for coal gasification package has been awarded to M/s. Wuhuan Engineering Company Ltd., China.

Sindri & Gorakhpur Units:

- Union Cabinet decided on 13.07.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive 11% of equity in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost.



- कैबिनेट द्वारा पुनर्जीवन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति (आई.एम.सी.) का भी गठन किया गया। एकत्रों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एच यू आर एल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया।
- सभी परियोजना स्थलों पर हर्ल द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ हो गए हैं।
- सिंदरी एवं गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफ.सी.आई.एल. और एच.यू.आर.एल. के बीच रियायत समझौते और पटा लेखों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। गोरखपुर एवं सिंदरी परियोजनों के लिए एफ सी आई एल, एच यू आर एल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच प्रतिस्थापना समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
- अगस्त 2021 के अंत तक गोरखपुर में कुल 99.3% और सिंदरी में 96% कार्य पूरा हो चुका है।
- Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture Company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Ltd. (HURL)' has been incorporated for purpose of revival of the units.
- Construction job has been started by HURL at all the project sites.
- Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lender' Representative.
- Gorakhpur has achieved an overall physical progress by 99.3% whereas Sindri has achieved an overall physical progress of 96% by end of August 2021.

10.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2020-2021 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है। सुश्री रेखा शर्मा, उप सचिव, उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करती हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये रोकथाम के विभिन्न

10.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2020-21

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Ms. Rekha Sharma, Dy. Secretary, Department of Fertilizers, is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. She provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity



उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

11.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम का नियम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

12.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

31.3.2021 को कर्मचारियों की संख्या 3 है। कर्मचारियों की कम्पनी के पुनरुज्जीवन गतिविधि के साथ-साथ नियम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रोक कर रखा गया है। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

13.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित

in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

11.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programmes and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However, due to closure of the company, these activities are kept limited.

12.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT ETC.

The staff strength as on 31.3.2021 is 03. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations of the Company, apart from revival activities of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

13.0 EMPLOYMENT OF SCs / STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /Ex-servicemen, including physically

सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

14.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिये मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स को सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

16.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कम्पनी के लेखों पर एक रिपोर्ट दे दी है।

17.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष

handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

14.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

15.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of the company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. Deepak Gulati & Associates were appointed as statutory auditors for the financial year 2020-21.

16.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2020-21.

17.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Accounts have been submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013. Comments of CAG



2020-21 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अनुलग्नक में संलग्न है।

18.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

18.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का और विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

for the year 2020-21 are enclosed at Annexure.

18.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

18.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2021; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The accounts for the financial year 2020-21 have been prepared on “Going Concern” basis.



19.0 निदेशक मंडल

		से	तक
1.	श्री धर्म पाल, आई.ए.एस., अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	22.02.2018	अब तक
2.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	8.9.2016	अब तक
3.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4.10.2017	अब तक
4.	श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-08123352)	14.11.2018	20.4.2020
5.	श्री जोहान टोपनो, (डी.आई.एन.-08758583)	20.04.2020	अब तक

19.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री धर्म पाल, अ.प्र.नि. (डी.आई.एन.-02354549)	4
2.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	3
3.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4
4.	श्री हरविन्दर सिंह, निदेशक (डी.आई.एन.-08123352)	0
5.	श्री जोहान टोपनो (डी.आई.एन.-08758583)	4

19.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Dharam Pal, IAS, C&MD (DIN-02354549)	22.02.2018	Till date
2. Shri Anilkumar V. Patil, Director (DIN-07039255)	08.09.2016	Till date
3. Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	04.10.2017	Till date
4. Shri Harvinder Singh, Director (DIN-08123352)	14.11.2018	20.04.2020
5. Shri Johan Tapno (DIN-08758583)	20.04.2020	Till date

19.1 There were 4 meetings of Board of Directors during the financial year 2020-21. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Board Meetings Attended
1.	Shri Dharam Pal, C&MD (DIN-02354549)	4
2.	Shri Anilkumar V Patil, Director (DIN-07039255)	3
3.	Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	4
4.	Shri Harvinder Singh, Director (DIN-08123352)	0
5.	Shri Johan Tapno (DIN-08758583)	4



20.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 177 “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 04.09.2020 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

1. श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, – अध्यक्ष निदेशक
2. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) – सदस्य
3. श्री जोहन टोपनो, निदेशक – सदस्य

20.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखा परीक्षा समिति की 2 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक (डी.आई.एन.-07039255)	1
2.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	2
3.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-08758583)	2

21.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत

20.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a new section 177, i.e. “Audit Committee” has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 04.09.2020 comprising of the following Directors:

1. Shri Anilkumar V Patil, Director	- Chairman
2. Shri Niranjan Lal, Director (Finance)	- Member
3. Shri Johan Tapno, Director	- Member

19.1 2 meetings of Audit Committee were held during the financial year 2020-21. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Audit Committee Meetings Attended
1.	Shri Anilkumar V Patil, Director (DIN-07039255)	1
2.	Shri Niranjan Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	2
3.	Shri Johan Tapno (DIN-08758583)	2

21.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the



सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-

(निरंजन लाल)

निदेशक (वित्त)

(डीआईएन-07965269)

पंजीकृत कार्यालयः

7, इन्सटीट्यूसनल एरिया, स्कोप कम्प्लेक्स,
कोर-III, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 17 दिसम्बर 2021

employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Niranjan Lal)

Director (Finance)

(DIN-07965269)

Registered Office:

7, Institutional Area, Scope
Complex, Core-III, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Dated : 17th Dec. 2021



निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 16.09.2021 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 16.09.2021) and Explanations of the Company.

ANNEXURE

ए. क्यू सं. टिप्पणियाँ A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण (व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव के विवरण और उसी वर्ष को समाप्त कैश फ्लो विवरणिका और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाएं भी शामिल है।

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों अनुसार अहंक मत के लिए निम्नलिखित पैरा 1 से 2 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार मांगी गई जानकारी और 31 मार्च 2021 तक कंपनी के कार्यकलापों का उसके लाभ और कैश फ्लो विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) (“the Company”), which comprise the balance sheet as

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

at 31st March 2021, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 2 stated below, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as at 31st march, 2021, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

अहंक मत के लिये आधार

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक लेखांकन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य लेखांकन का पालन नहीं किया है। लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिये अनिवार्य रूप से घटक लेखांकन के गैर-लेखांकन के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

Basis for Qualified Opinion

1. During the year ended 31st March, 2021, the component accounting for depreciation

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. व्यापार प्राप्ति पूर्व कर्मचारियों व्यापार देय एवं अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें नोट (एफ) (3) में संदर्भित पीडीआईएल एवं आर.एफ.सी.एल. से प्राप्तियां भी शामिल है इसलिए हम वर्ष के अंत के तुलन पत्र में बकाया और प्राप्त राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं है।

पुष्टि न होने के परिणामी प्रभाव लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

2. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F)(3) , therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. उपरोक्त पैरा 1 एवं 2 में हमारे अवलोकन का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष के लिये लाभ एवं 31 मार्च 2021 को कंपनी की



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर उनके प्रभाव का अनुमान
नहीं लगाया है।

3. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2021.

मामले पर जोर

1. हम उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में ध्यान में रखते हुए पुरी की गई।

Emphasis of Matter

1. We bring to the attention of the users that the audit of the financial statement has been performed keeping in the mind about precaution for continuing COVID-19 Pandemic.
2. हम आकस्मिक देनदारियों और वित्तीय विवरण के प्रति प्रतिबद्धता पर लेखों पर टिप्पणी-पी पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो ग्राहकों को ऋण की हानि के कंपनी के अनुमानों के संबंध में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का वर्णन करता है। और इस तरह के अनुमान महामारी की गंभीरता और अवधि से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2. We draw attention to Note to Accounts-P on contingent liabilities and commitments to the financial statement, which describes the uncertainty caused by Novel Coronavirus Pandemic with respect to the

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

company's estimates of impairment of loans to customer and that such estimate may be affected by the severity and duration of the pandemic. Our opinion is not modified in respect of this matter.

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वह भवन शामिल हैं जिसे पूर्व कर्मचारियों बैंक एवं डाकघर, आदि को किराए पर दिया गया था। कंपनी ने उनसे किराया प्राप्त किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार इसे तुलन पत्र में निवेश सम्पत्ति में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। और तुलन पत्र के पहले अलग से दिखाया जाना चाहिए।
3. Property, Plant and Equipment includes the Buildings which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it. As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.
4. कंपनी ने बीमांकित मूल्यांकन के आधार और IND AS-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार कंपनी के पेरोल पर अपने दीर्घकालिक सेवानिवृति लाभ के लिए अपने वही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है।
4. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS - 19 Employee' Benefits.
5. रु. 174.79 लाख की वस्तुसूचि इसका मूल्यांकन लागत पर हुआ है, लेकिन प्रबंधन ने वस्तुसूचि पर कोई दस्तावेज साक्ष्य और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान नहीं की है। इसलिए हम विसंगतियों यदि कोई हो और बही खातों में इसके उपचार पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं है।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

कम्पनी के पे रोल पर केवल तीन कर्मचारी हैं। अतः हमने वास्तविक आधार पर प्रावधान किया है।

There are only 3 employees on the pay rolls of the company. we have provided on actual basis.

यह सिंदरी में मौजुद पेलेटीनम जोकि ताले के अन्दर सुरक्षित रखी हुई है कि कीमत है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

5. Inventories of Rs 174.79 Lakhs .It is valued at cost but management didn't provide any documentary evidence and physical verification report on the Inventories so, we are not able to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.
6. संपत्ति संयत्र एवं उपकरणों को तुलन पत्र में दिखाया गया है परन्तु प्रबंधन ने वर्ष के दौरान कोई अचल संपत्ति रजिस्टर और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे हम विसंगतियाँ, यदि कोई हो, और लेखा बहियों में उनके निदान पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
6. Property, Plant and equipment have shown in the Balance Sheet but, the management was not provided any fixed asset register and physical verification Report during the year, we are not able to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.
7. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-08 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहाँ कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” में प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा किए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।
7. Attention is drawn on Note to accounts - F-08 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture

It is the cost of Platinum in Sindri Unit which is kept under lock & key and security.

अधिकांश सम्पत्ति या वो अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में बेची जा चुकी है अथवा पुनर्जीवीत करने वाली संयुक्त उद्यमों को उपयोगी वस्तु के रूप में सौंप दी गई है। शेष वस्तुओं को मिलान करके वर्ष 2021-22 में इनका अद्यतन किया जायेगा।

Most of the fixed assets are either sold as unusable items or handed over to reviving JVs as usable items. Balance items would be reconciled and asset register would be updated in 2021-2022.

नवगठित संयुक्त उद्यमों में कंपनी की केवल 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसलिए संयुक्त उद्यम कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

The Company has only 11% shareholding in newly formed Joint Ventures and hence does not exercise any control over the economic activities of the Joint Venture Companies.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures; which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021.

8. i) पुनरुद्धार निर्णय की शर्त पर कंपनी के 202 क्वाटरों का हैवी वाटर प्लांट (एचडब्लूपी) के 344 क्वाटरों से लेन देन किया गया परन्तु आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 45 में प्रावधान के अनुसार इस तरह की लेनदेन के प्रभाव को कंपनी की पुस्तकों में नहीं रिकार्ड किया गया जिससे कि पूँजी लाभ अथवा हानि का पता लग सके।

ii) प्रबंधन ने रामागुण्डम इकाई के पुनरुद्धार के लिए इसकी परिसंति के हस्तातरण को वर्ष के दौरान रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. से प्राप्त शेरयों को बिना लाभ/हानि गणना के लाभ हानि खाते में रु. 4490 लाख असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया।

8. i) Quarters 202 of company was exchanged with quarters 344 of Heavy Water Plant (HWP) subject to decision of revival; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of section -45 of the Income tax Act, 1961.

तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर होते ही इस मुद्रे का अंतिम रूप देकर सुलझा लिया जायेगा।

यह कार्य निपुण कानूनी राय लेने के पश्चात किया गया है।

As soon as the lease deed with Talched Fertilizers Ltd is signed, this issue would be finalised & settled.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

ii) The management has treated shares received from Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited against transfer of assets of Ramagundam Unit for revival of unit during the year as Exceptional items in the Profit & Loss A/c amounted to Rs. 4490 lakhs without computing profit/ loss.

9. प्रबंधन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया राशि का विवरण नहीं बताया, अतः हम इसके बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोचित नहीं है।

9. The management has not provided the details of total outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises, hence we are not able to comment on the same.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

This has been done after obtaining expert legal opinion on the matter.

सूक्ष्म एवं उद्यमों और लघु उद्यमों को कोई देय बकाया नहीं है।

There are no dues to payable to Micro Enterprises & Small Enterprises.

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त किया था। इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है जिसे हमें उस तारीख के पश्चात उपलब्ध किए जाने की आशा है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the draft Directors' Report including annexures to Directors' Report, which we obtained prior to the date of this auditors' report and other reports included in the Annual report, which are expected to be made available to us after that date, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बायानी प्रतीत होती है।

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

यदि इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है जो हमे उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बयानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

When we read the full Annual report which is expected to be made available to us after the date of this auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के तैयार करने वालों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के तहत लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इकिवटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिस्मितियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

**Responsibilities of the Management and Those
Charged with Governance for the Financial
Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हों खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रचालन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

2. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

**2. Auditor's Responsibilities for the Audit of
the Financial Statements**

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

हम:

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

We also:

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराष्ट्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.

- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियां विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

भौतिक वित्तीय विवरण में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरण के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे को योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) वित्तीय विवरण में किसी भी पहचाने गये गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को उन्हें बताते हैं।

We also provide those charged with governance with a statement that we have compiled with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

अन्य मामले

जहाँ कहीं भी भौतिक पहुँच सम्भव नहीं थी वहाँ युनिट द्वारा डिजिटल माध्यम और ई-मेल द्वारा हमें आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये। इस सीमा तक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की ऐसे



दस्तावेज रिपोर्ट उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर अंजाम दिया गया था। जिन पर आडिट करने के लिए आडिट संश्रय के रूप में भरोशा दिया गया था। और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग ऑडिट प्रक्रियाओं को करने में इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रभावी ढंग से ले जाने के जोखिम को बढ़ाया है।

Other Matters

Wherever physical access was not possible, necessary records, reports, documents and certificates were made available to us by the unit through digital medium and emails. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Such restrictions in performing audit procedures have enhanced the risk in effectively carrying out the audit and the quality of audit evidence gathered by us.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विविरित है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।

Report on other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "**Annexure A**" a statement on the matters specified in

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order), No reply is called for in this para.

Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

2. As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अर्हक मत एवं मामले पर जोर के भाग में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except which are given in our audit report in basis of qualified opinion and matters of emphasis section of our report.

ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

ग. अर्हक मत का आधार और मामले पर जोड़ के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order), No reply is called for in this para.(a &b)

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.

घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाइड मत का आधार और मत का जोड़ में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 “कर्मचारी लाभ” में से बाहर होना निर्धारित है।

d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2015 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS-19 “Employee Benefits”.

ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाइड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order), No reply is called for in this para.

च. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में कंपनी निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164 (2) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होता है।

f. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.

छ. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।

g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure B**".

3. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा।

निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुच्छेद 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act:



As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act which are required to be commented upon by us.

4. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:
4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - क. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2021 तक का कर दिया है; और
 - a. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2021; and
 - ख. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो; और
 - b. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and



ग. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

c. There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

5. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की सुझाई गई कार्य प्रणाली उस पर कार्यवाही और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इनके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देश पर एक विवरण देते हैं।

5. As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the “**Annexure - C**”, a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India after complying with their suggested methodology of audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.



अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कर्मनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

ए. क्रू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

क. कंपनी की स्थायी परिस्थितियों के संबंध में:

a. In respect of the Company's Fixed Assets:

ख. कंपनी ने कुछ ईकाइयों में उचित दस्तावेज जैसे मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिस्थिति सहित पूर्ण विवरण नहीं रखे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ईकाइयों/प्रभागों में अचल सम्पत्ति के दस्तावेज अपडेट नहीं किये गये हैं।

यह उत्तर वही है जैसा क्रमांक 2 (6) पर दिया गया है।

b. The company has not maintained proper records in some units which show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets. Moreover, in some Units/Divisions, fixed assets records have not been updated.

The reply is as given at SI No. 2 (6) above.

(ग) स्थायी परिस्थितियों और उन स्थायी परिस्थितियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक



**ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(c) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/Divisions.

(घ) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

(d) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company.

तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

(e) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.

(ड) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्लू. पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

(f) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

च. वस्तुसूचियों के संबंध में:

जैसा कि हमें सूचित किया गया इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियों ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

g. In respect of Inventory:

As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company Units are closed and inventories are held in lock-and-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order), No reply is called for in this para.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

छ. कंपनी के द्वारा दिया गया ऋण

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

h. Loans given by Company-

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013("the Act"). Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(iii) of the Order.

ज. कंपनी के द्वारा ऋण एवं निवेश

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश को छोड़कर जिसे कंपनी की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार में किया गया था। कम्पनी ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है।

i. Loan and Investment by the Company-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given loans, made investments

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the auditors under CARO (Companies Auditor's Report Amendment Order), No reply is called for in this para.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

or given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act except the following investments had been made for reviving the company units at various location :

रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मैं रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. (आरएफसीएल) के रु.10/- की दर से 10,000 इक्विटी शेयर के लिए रु. 1 लाख का भुगतान किया और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर का आवंटन हो गया है और शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं, यद्यपि कंपनी (आरएफसीएल) के आर्टीकल ऑफ एशोसियेशन के अनुसार वर्ष 2017-18 में आरएफसीएल ने रु.92.52 करोड़ मूल्य के 9.252 करोड़ शेयर रु.10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य पर जारी किए। वर्ष 2018-19 में कंपनी को रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.23.27 करोड़ के 2.327 करोड़ शेयर प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.28.70 करोड़ मूल्य के 2.870 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

चालु वर्ष 2020-21 में रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.44.90 करोड़ की राशि के 4.490 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

Ramagundam Units:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and, opportunity cost are under:



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) of Rs.10/-each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company and Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued 9.252 crores equity share of Rs 92.52 crores to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs 10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has received 2.327 crores equity share of Rs 23.27 Crores at Rs 10/- each. In 2019-20 financial year 2.87 crores equity share amounting to Rs 28.70 crores at Rs 10/- each.

In the current year 2020-21, 4.49 crores equity shares amounting to Rs.44.90 Crores at Rs 10/-each.

तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने तलचर फर्टिजाइजर लि. (टीएफएल) (पूर्व में राष्ट्रीय कोल एवं गैस फर्टिजाइजर लि.) में रु. 50 लाख का निवेश किया और रु.10/- प्रति शेयर की दर से 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

Talcher unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

सिंदरी गोरखपुर/इकाई:

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एचयूआरएल) में 10/- प्रति शेयर की दर से 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए रु.1,66,670 का निवेश किया कंपनी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं।

Sindri Unit/ Gorakhpur unit:

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs1,66,670/- in Hindustan Urvarak&Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company.

1. जमा

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

1. Deposits-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

2. लागत रिकार्ड

कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

2. Cost Records-

All the units of the Company are closed and there was no production during the financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

3. सांविधिक देयताएं

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है

यह लेखा परीक्षकों की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार वास्तविक आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रूपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखा बहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यहास जमा नहीं किया गया है।

3. Statutory Dues-

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the ab-

These are reporting requirements of the Auditors and therefore replies are not called for.



**ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

sence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported and (b) income tax payable on MAT for financial year 2015-16 of Rs.42.58 lakhs which has not been deposited by the company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.



कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत अंतरिम वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अर्हक (क्वालीफॉर्ड) मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण (व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव के विवरण और उसी वर्ष को समाप्त कैश फ्लो विवरणिका और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाएं भी शामिल हैं।

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों अनुसार अर्हक मत के लिए निम्नलिखित पैरा 1 से 2 तक वर्णित प्रभाव/संभावित प्रभाव के संबंध में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अनुसार मांगी गई जानकारी और 31 मार्च 2021 तक कंपनी के कार्यकलापों का उसके लाभ और कैश फ्लो विवरण का सही और उचित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है।

Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 including Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies act, 2013 (“the act”)

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE MEMBERS OF THE FERTILIZERS
CORPORATION OF INDIA LIMITED**

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) (“the Company”), which comprise the balance sheet as at 31st March 2021, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the basis of qualified opinion in paragraph 1 to 2 stated below, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as at 31st march, 2021, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

अर्हक मत के लिये आधार

1. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक लेखांकन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य लेखांकन का पालन नहीं किया है।

लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिये अनिवार्य रूप से घटक लेखांकन के गैर-लेखांकन के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

2. व्यापार प्राप्य पूर्व कर्मचारियों व्यापार देय एवं अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें नोट (एफ) (3) में संदर्भित पीडीआईएल एवं आर.एफ.सी.एल. से प्राप्तियां भी शामिल हैं इसलिए हम वर्ष के अंत के तुलन पत्र में बकाया और प्राप्त राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं है।

पुष्टि न होने के परिणामी प्रभाव लाभ एवं अन्य संबंधित लेखों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

3. उपरोक्त पैरा 1 एवं 2 में हमारे अवलोकन का संचयी प्रभाव सुनिश्चित नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष के लिये लाभ एवं 31 मार्च 2021 को कंपनी की परिसंपत्तियों एवं देयताओं पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

मामले पर जोर

1. हम उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाते हैं कि वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में ध्यान में रखते हुए पुरी की गई।

Basis for Qualified Opinion

1. During the year ended 31st March, 2021, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

2. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL and RFCL as referred in Note (F)(3) , therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

3. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2021.

Emphasis of Matter

1. We bring to the attention of the users that the audit of the financial statement has been



2. हम आकस्मिक देनदारियों और वित्तीय विवरण के प्रति प्रतिबद्धता पर लेखों पर टिप्पणी-पी पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो ग्राहकों को ऋण की हानि के कंपनी के अनुमानों के संबंध में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का वर्णन करता है। और इस तरह के अनुमान महामारी की गंभीरता और अवधि से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वह भवन शामिल हैं जिसे पूर्व कर्मचारियों बैंक एवं डाकघर, आदि को किराए पर दिया गया था। कंपनी ने उनसे किराया प्राप्त किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-III के अनुसार इसे तुलन पत्र के पहले अलग से दिखाया जाना चाहिए।
4. कंपनी ने बीमांकित मूल्यावान के आधार और IND AS-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार कंपनी के पेरोल पर अपने दीर्घकालिक सेवानिवत लाभ के लिए अपने बही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है।
5. रु. 174.79 लाख की वस्तुसूचि इसका मूल्यांकन लागत पर हुआ है, लेकिन प्रबंधन ने वस्तुसूचि पर कोई दस्तावेज साक्ष्य और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान नहीं की है। इसलिए हम विसंगतियों यदि कोई हो और वही खातों में इसके उपचार पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।
6. सम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरणों को तुलन पत्र में दिखाया गया है परन्तु प्रबंधन ने वर्ष के दौरान कोई अचल सम्पत्ति रजिस्टर और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे

performed keeping in the mind about precaution for continuing COVID-19 Pandemic.

2. We draw attention to Note to Accounts-P on contingent liabilities and commitments to the financial statement, which describes the uncertainty caused by Novel Coronavirus Pandemic with respect to the company's estimates of impairment of loans to customer and that such estimate may be affected by the severity and duration of the pandemic. Our opinion is not modified in respect of this matter.
3. Property, Plant and Equipments includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it .As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.
4. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee'Benefits.
5. Inventories of Rs 174.79 Lakhs .It is valued at cost but management didn't provide any documentary evidence and physical verification report on the Inventories so, we are not able to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.
6. Property, Plant and equipment have shown in the Balance Sheet but, the management was not provided any fixed asset register and

हम विसंगतियाँ, यदि कोई हो, और लेखा बहियों में उनके निदान पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

7. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-08 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहाँ कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” में प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा किए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।
8. i) पुनरुद्धार निर्णय की शर्त पर कंपनी के 202 क्वार्टरों का हैवी वाटर प्लांट (एचडब्लूपी) के 344 क्वार्टरों से लेन देन किया गया परन्तु आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 45 में प्रावधान के अनुसार इस तरह की लेनदेन के प्रभाव को कंपनी की पुस्तकों में नहीं रिकार्ड किया गया जिससे कि पूंजी लाभ अथवा हानि का पता लग सके।

 ii) प्रबंधन ने रामगुण्डम इकाई के पुनरुद्धार के लिए इसकी सम्पत्ति के हस्तातरण को वर्ष के दौरान रामगुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. से प्राप्त शेयरों को बिना लाभ/हानि गणना के लाभ हानि खाते में रु. 44.90 लाख असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया।
9. प्रबंधन ने सूक्ष्म एवं लधु उद्यमों के कुल बकाया राशि का विवरण नहीं बताया, अतः हम इसके बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

physical verification Report during the year, we are not able to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

7. Attention is drawn on Note to accounts - F-08 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures; which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2021.
8. i) Quarters 202 of company was exchanged with quarters 344 of Heavy Water Plant (HWP) subject to decision of revival; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of section -45 of the Income tax Act, 1961.

 ii) The management has treated shares received from Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited against transfer of assets of Ramagundam Unit for revival of unit during the year as Exceptional items in the Profit & Loss A/c amounted to Rs. 4490 lakhs without computing profit/ loss.
9. The management has not provided the details of total outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises, hence we are not able to comment on the same.



प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त किया था। इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है जिसे हमें उस तारीख के पश्चात उपलब्ध किए जाने की आशा है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the draft Directors' Report including annexures to Directors' Report, which we obtained prior to the date of this auditors' report and other reports included in the Annual report, which are expected to be made available to us after that date, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है जो हमे उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बयानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के तैयार करने वालों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के तहत लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिस्मतियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और विवेकापूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the full Annual report which is expected to be made available to us after the date of this auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making



का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आंकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हों खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रलाचन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेशमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेशमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेश मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के अर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आंकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराष्ट्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियां विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are



परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों की खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति की बुलंदियों को छूते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है वित्तीय विवरण के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपनी ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और वित्तीय में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मानात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को उन्हें बताते हैं।

required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have compiled with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our

independence, and where applicable, related safeguards.

अन्य मामले

जहाँ कहीं भी भौतिक पहुँच सम्भव नहीं थी वहाँ युनिट द्वारा डिजिटल माध्यम और ई-मेल द्वारा हमें आवश्यक रिकार्ड/रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये। इस सीमा तक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की ऐसे दस्तावेज रिपोर्ट उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर अंजाम दिया गया था। जिन पर आडिट करने के लिए आडिट संश्य के रूप में भरोशा दिया गया था। और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग ऑडिट प्रक्रियाओं को करने में इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रभावी ढंग से ले जाने के जोखिम को बढ़ाया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट हैं जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।
- अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अर्हक मत एवं मामले पर जोर के भाग में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

Other Matters

Wherever physical access was not possible, necessary records, reports, documents and certificates were made available to us by the unit through digital medium and emails. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Such restrictions in performing audit procedures have enhanced the risk in effectively carrying out the audit and the quality of audit evidence gathered by us.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "**Annexure A**" a statement on the matters specified in Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:
 - We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except which are given in our audit report in basis of qualified opinion and matters of emphasis section of our report..



ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

ग. अर्हक मत का आधार और मामले पर जोर के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में विर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 "कर्मचारी लाभ" में से बाहर होना निर्धारित है।

ङ. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाईड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

च. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.

b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.

c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.

d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2015 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS-19 "Employee Benefits".

e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.

जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में कंपनी निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164 (2) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

छ. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक 'ख' में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।

3. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा।

निदेशकों को परिश्रमिक के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.-जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुच्छेद 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

4. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

f. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.

g. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure B"**.

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act:

As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act which are required to be commented upon by us.

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:



क. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2020 तक का कर दिया है; और

ख. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हा; और

ग. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

5. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की सुनाइ गई कार्य प्रणाली उस पर कार्यवाही और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर इनके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देश पर एक विवरण देते हैं।

- The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2021; and
- The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
- There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the "**Annexure - C**", a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India after complying with their suggested methodology of audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021

अनुलग्नक 'क'

Annexure 'A'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

1. कंपनी की स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में:

(क) कम्पनी ने कुछ इकाईयों में उचित रिकॉर्ड जैसे मात्रात्मक विवरण एवं अचल परिसंपत्ति सहित पूर्ण विवरण नहीं रखे हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ इकाईयों/प्रभागों में अचल संपत्ति के रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है।

(ख) स्थायी परिसम्पत्तियों और उन स्थायी परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन, केवल केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर, सभी एककों का नहीं किया गया है। अतः हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो, और एककों के लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ग) कम्पनी के अचल सम्पत्ति के टाइटल के समर्थन में प्रमाण के साथ उपलब्ध कराई गयी अचल सम्पत्ति की पूरी जानकारी के अभाव में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि अचल सम्पत्ति की टाइटल डीड कम्पनी के नाम में है या नहीं। लेकिन कम्पनी के अनुसार निम्नलिखित मूर्त स्थायी परिसम्पत्ति में शामिल भूमि या मकान इसके नाम पर नहीं हैं:

Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. In respect of the Company's fixed assets:
 - (a) The company has not maintained proper records in some units which show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets. Moreover, in some Units/Divisions, fixed assets records have not been updated.
 - (b) The physical verification of fixed assets including fixed assets retired from active use and held for disposal has not been carried out for all the Units/Divisions except for fixed assets at Central Office. We are therefore unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts in the Units/Divisions.
 - (c) In the absence of full details of all immovable property made available with supporting evidence of title of immovable properties of the company, we are unable to comment on whether title deeds of all immovable properties are in the name of the Company. However, the following land or quarters included in tangible fixed assets, as per the Company, are not in its name:



(घ) तलचर में, 7.780 एकड़ भूमि जो कि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में अभी पंजीयन नहीं हुआ है और इस संबंध में अनुबंध होना बाकी है।

(ड) पुनरुद्धार के शर्त पर 202 मकान हैवी वाटर प्लान्ट (एच. डब्लू. पी.) को 344 मकान के बदले में दिये गये हैं लेकिन बही में और रिकार्ड में ठीक रूप से नहीं लिया गया है और प्रावधान नहीं किया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143(5) के तहत निर्देश

- क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।
- क्या कंपनी के ऋण का जवाब देने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बटे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)
- क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी, आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

(d) At Talcher, 7.780 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in revenue record are yet not completed and the agreement for same is still to be executed.

(e) 202 quarters has been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters subject to decision of revival, however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013

- Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.
- Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (**In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company.**)
- Whether funds (**grants/subsidy etc.**) received/ receivable for specific schemes from central/State **Governments or its** agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.

2. वस्तुसूचियों के संबंध में:

जैसा कि हमें सूचित किया गया इस वर्ष वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर नहीं किया गया है। कम्पनी के एकक बंद हैं और वस्तुसूचियों ताले में रखी हैं। वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन न होने के कारण, विसंगतियाँ, यदि कोई हों तो, और उसका लेखा बहियों पर प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. कंपनी के द्वारा दिया गया ऋण

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा बहियों के जाँच के आधार पर संरक्षित रजिस्टर में वर्णित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

4. कंपनी के द्वारा ऋण एवं निवेश

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश को छोड़कर जिसे कंपनी की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार में किया गया था। कम्पनी ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है।

रामगुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:

2. In respect of Inventory:

As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company Units are closed and inventories are held in lock-and-key. In the absence of physical verification done during the year for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in books of account.

3. Loans given by Company-

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to Companies, Firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013("the Act"). Accordingly, no reporting is required under paragraph 3(iii) of the Order.

4. Loan and Investment by the Company-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act except the following investments had been made for reviving the company units at various location:

Ramagundam Units:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and, opportunity cost are under:



वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मैं रामगुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. (आरएफसीएल) के रु.10/- की दर से 10,000 इक्विटी शेयर के लिए रु. 1 लाख का भुगतान किया और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर का आवंटन हो गया है और शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं, यद्यपि कंपनी (आरएफसीएल) के आर्टीकल ऑफ एशोसियेशन के अनुसार वर्ज 2017-18 में आरएफसीएल ने रु.92.52 करोड़ मूल्य के 9.252 करोड़ शेयर रु.10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य पर जारी किए। वर्ष 2018-19 में कंपनी को रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.23.27 करोड़ के 2.327 करोड़ शेयर प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2019-20 में रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.28.70 करोड़ मूल्य के 2.870 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

चालु वर्ष 2020-21 में रु.10/- प्रति शेयर की दर से रु.44.90 करोड़ राशि के 4.490 करोड़ शेयर प्राप्त हुए।

तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने तलचर फर्टिजाइजर लि. (टीएफएल) (पूर्व में राष्ट्रीय कोल एवं गैस फ. लि.) में रु. 50 लाख का निवेश किया और रु.10/- प्रति शेयर की दर से 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

सिंदरी गोरखपुर/इकाई:

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एच्यूआरएल) में 10/- प्रति शेयर की दर से 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए रु.1,66,670 का

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) of Rs.10/-each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company and Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued 9.252 crores equity share of Rs 92.52 crores to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs 10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has received 2.327 crores equity share of Rs 23.27 Crores at Rs 10/- each. In 2019-20 financial year 2.87 crores equity share amounting to Rs 28.70 crores at Rs 10/- each.

In the current year 2020-21, 4.49 crores equity shares amounting to Rs.44.90 Crores at Rs 10/-each.

Talcher unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

Sindri Unit/ Gorakhpur unit:

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasasyan Limited

निवेश किया कंपनी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं।

5. जमा

प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. लागत रिकार्ड

कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

7. सांविधिक देयताएं

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

(क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल

(HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company.

5. Deposits-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public under section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.

6. Cost Records-

All the units of the Company are closed and there was no production during the financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

7. Statutory Dues-

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax,



कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियो से भुगतान प्राप्त होने के प्रश्नात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा (ख) वित्त वर्ष 2015-16 में मैट पर आय कर के 42.58 लाख रुपये का भुगतान जिसे कम्पनी द्वारा कानूनी सलाह के आधार पर लेखा बहियों के अनुसार आगे लाई गई हानि या अवशोषित नहीं किया गया मूल्यहास जमा नहीं किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2021 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

sales-tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on accrual basis as per provisions of service tax Act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service Tax/ GST, the amount and period of delay in certain cases could not be reported and (b) Income tax payable on MAT for financial year 2015-2016 of Rs. 42.58 lakhs which has not been deposited by the Company based upon a legal opinion regarding set off of lower of brought forward losses or unabsorbed depreciation as per books of account.

(b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2021 for a period of more than six months from the date they became payable except the following:



सांविधिक का नाम Name of statutes	देयता का प्रकार Nature of due	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	अवधि Period	नियत दिनांक Due date	जमा करने का दिनांक Date of deposit	टिप्पणी Remarks
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.01	पुराना बकाया Old Outstanding	लागु नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्ष किया गया है। provision of services tax made in earlier year
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.60	अगस्त 2015	सितम्बर 2015	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.39	सितम्बर Sept	अक्टूबर 2015 Oct 2015	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.11	पुराना बकाया Old outstanding	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	सेवा कर का प्रावधान पिछले वर्षों में किया गया है। Provision of services tax made in earlier years.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	2.63	वित्त वर्ष 2015–16 F.Y. 2015-2016	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	1.09	वित्त वर्ष 2015–16 F.Y. 2015-2016	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वित्त अधिनियम 1994 Finance Act, 1994	सेवा कर (सिन्दरी) Service Tax (Sindri)	3.16	वित्त वर्ष 2016–17 F.Y. 2016-2017	कई तिथियाँ Various dates	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	प्रोद्भवन पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है। Service tax on accrual unpaid.
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST



वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	जुलाई 2017 July-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया है। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.517	जुलाई 2017 July-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.062	जुलाई 2017 July-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.054	अगस्त 2017 Aug-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (सिन्दरी) Goods and Services Tax (Sindri)	0.047	सितम्बर 2017 Sep-2017	उपलब्ध नहीं। N.A	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर ब्याज Interest on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.12	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.13	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (गोरखपुर) Goods and Services Tax (Gorakhpur)	0.87	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	किराया पर जीएसटी GST on Rental



आय कर अधिनियम Income Tax Act	टीसीएस (गोरखपुर) TCS (Gorakhpur)	0.186 0.186	अप्रैल 2017 Apr-2017	जुलाई 05, 2017 05th July 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	टीसीएस TCS
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सीमा शुल्क अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2015-16 2015-16		अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chhattisgarh Nagar Palika Act 1956	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	5.34 5.34	2016-17 2016-17		अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
म०प्र० सरकार वन संवृद्धि प्रतिपूर्ति M.P. govt. forest growth compensation	प्रतिपूर्ति (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	
सामान्य प्रशासन कोरबा Local Authority Korba	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	



वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा) Goods and Services Tax (Korba)	0.11	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा) Goods and Services Tax (Korba)	0.11	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (कोरबा) Goods and Services Tax (Korba)	0.11	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया Not yet deposited	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	जुलाई 2017 July-2017	अगस्त 20, 2017 20th Aug 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	अगस्त 2017 Aug-2017	सितम्बर 20, 2017 20th Sep 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम Goods and Services Tax Act	वस्तु एवं सेवा कर (रामागुण्डम) Goods and Services Tax (Ramagundam)	0.073	सितम्बर 2017 Sep-2017	अक्टूबर 20, 2017 20th Oct 2017	अभी तक जमा नहीं किया। Not yet deposited.	जीएसटी पर रिवर्स चार्ज Reverse Charge on GST

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट का कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया हो, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute except the followings :



सांविधिक का नाम Name of the Statute	देयता का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। Period to which amount relates	फोरम जहाँ विवाद लांबित है Forum where dispute is pending
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax Demand	4.15 4.15	निर्धारण वर्ष 2013-14 A.Y. 2013-14	दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली Delhi High Court, New Delhi
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	विदेशी तकनीशियन पर आय कर की माँग Income Tax Demand on Foreign Technician	19.14 19.14	उपलब्ध नहीं N.A.	दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court
आय कर अधिनियम 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर की माँग Income Tax demand	267.10 267.10	निर्धारण वर्ष 2014-15 A.Y. 2014-15	आय कर आयुक्त (अपील) 11, नई दिल्ली के निदेश पर निर्धारण अधिकारी Assessing Officer on direction of The Commissioner of Income Tax (Appeals)-11 New Delhi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.41 0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.32 0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.89 24.89	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) Sales Tax (Marketing)	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक आयुक्त, पटना Asstt. Comm. Of Sales Tax, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1987-88 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	एसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	सीसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi



बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने पर उप आयुक्त (बिक्री कर) के दावे Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non- payment of Sales Tax on FPS Items	5.00 5.00	1993-94 1993-94	सीसीटी, पटना CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talcher)	1.12 1.12	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax, Cuttack, Odisha
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talcher)	1.15 1.15	1991-92 1991-92	सहायक आयुक्त (बिक्री कर) कटक, ओडिशा Astt. Com. of Sales Tax Cuttack, Odisha
नगर निमग्नम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	47.74 47.74	उपलब्ध नहीं N.A	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
नगर निमग्नम Nagar Nigam	सम्पत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	सामान्य प्रशासन Local Authority

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।
N.A. means : Not available

8. कर्ज की अदायगी

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक तथा सरकार से कोई कर्ज/उधार लिया है और न ही कोई डिबेंचर है। इसलिए आदेश का पैरा 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

9. धन जुटाना/उपयोग में लाना

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण इन्स्ट्रूमेंट सहित) और मियादी ऋण के द्वारा कम्पनी ने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

10. छल की जानकारी

हमारे ज्ञान और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा कोई छल या कम्पनी के ऊपर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा छल को नोटिस या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी पर धारा 197 लागू नहीं होती है।

8. Repayment of Loans-

The Company does not have any loans or borrowings from any financial institution, banks, and Government or debenture holders during the year and as such paragraph 3(viii) of the Order is not applicable to the Company.

9. Raising/Utilization of funds-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Accordingly, no reporting is required under paragraph 3 (ix) of the Order.

10. Reporting of Fraud-

To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

11. Managerial Remuneration-

As per notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, section 197 is not applicable to the Government Company. Accordingly, paragraph 3 (xi) of the Order is not applicable to the Company.



12. निधि कंपनी

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता है।

13. संबंधित पार्टीयों के साथ लेन-देन

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टीयों के साथ लेन देन नहीं किया गया।

14. शेयरों का निजी आंबटन

हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे कम्पनी के रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी ने कोई अधिमानी आंबटन या शेयरों का निजी प्लेसमेंट या पूरी तरह से या आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चरों का प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 (xiv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यता नहीं है।

15. गैर नकदी लेन-देन

हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ अथवा निदेशकों से संबंधित लोगों के साथ कोई गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

12. Nidhi Company-

According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company as such paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.

13. Related Party Transactions-

In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are no transactions with related parties were made during the year as stated in sections 177 and 188 of the Act.

14. Private placement of Preferential Issues-

According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partially convertible debentures during the year and hence no reporting is required under paragraph 3 (xiv) of the Order.

15. Non-Cash Transactions-

According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.



16. आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी का रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया अधिनियम 1934 की धारा 45-आई ए के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यू.डी.आई.एन. 21506545AAAAIY1888

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

16. Registration under RBI Act-

In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kappor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 21506545AAAAIY1888

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) (“अधिनियम”) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reportings under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

मैं ० दि फार्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को पैराग्राफ ३ (जी) के भाग ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

हमनें, दि फार्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के ३१ मार्च २०२१ तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है।

Referred to in paragraph 3(g) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report to the Members of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited of even date.

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited (“the Company”) as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपनी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the

पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारियों को तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हमने नैतिक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और क्या इस प्रकार के नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लेखा परीक्षा प्रमाण को प्राप्त करना वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रचालन प्रभावशीलता अंतर्निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता, थोड़ी सी भी मौजूद कमजोरी के जोखिम का आकलन तथा परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के थोड़े से भी गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये एक आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और पद्धतियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड के रख रखाव से संबंधित हैं और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड तैयार किया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, उचित विश्वसनीयता को बनाना है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन भार (ओवरराईड) की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखा धड़ी के कारण छोटी सी भी गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को दर्शाना इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियाँ या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री विगड़ सकती है।

आगे लेखाँ परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पटा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between "company" and "ex-employees" by proper authority ,which lead to lack of internal financial control in this respect.

मत

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्थिकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं जो कि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित हैं।

हलांकि इनमें और सुधार की आवश्यकता है:- i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दस्तावेजीकरण इसकी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम घटाने सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना। ii) व्यय और अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करना, अन्य वित्तीय संपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू संपत्ति व्यापार देय, अन्य वित्तीय देयता और अन्य वर्तमान देयता की पुष्टि/समाधान/समायोजन करना; और iii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और अपलीकेशन नियंत्रण का अपर्याप्त डिजाइन जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण एवं एकीकृत सूचना प्रदान करने से रोकता है। उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the **Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting** issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

However further improvement is required in i) the documentation of Internal Financial Controls of the Company in respect of its risk assessment process, risk analysis of different functional areas and incorporating the process flows at departmental levels including risk mitigation in respect of insurance coverage, ii) strengthening of the monitoring of controls in respect of expenses and fixed assets, confirmation/ reconciliation/ adjustment of balances of other financial assets, other current and non-current assets, trade payables, other financial liabilities and other current liabilities and iii) inadequate design of information technology system and application controls that prevent the information system from providing complete and integrated information consistent with financial reporting objectives.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021
Partner
Membership No. 506545

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. : 506545



पार्ट-I
PART-I

अनुलग्नक 'ग'
Annexure "C"

कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 (5) के तहत निर्देश

Direction under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।

केन्द्रीय कार्यालय गोरखपुर इकाई में खातों की किताबें टैली (ईआरपी 9) में रखी जाती हैं।

किताबें डी-बेस में सिन्दरी यूनिट में रखी जाती हैं।

शेष इकाईयाँ एक्सेल स्प्रेडशीट (कार्यालय) में अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव कर रही हैं।

समेकित से पहले नमूना आधार पर इसकी जांच की गई थी और खातों की अखंडता के संबंध में क्रम में पाया गया था। हालांकि, लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा गया है।

Q.1 Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.

The books of accounts at Central Office Gorakhpur unit are maintained in Tally (ERP 9).

The books are maintained at Sindri Unit in D-Base.

The remaining units are maintaining its books of account in Excel Spreadsheets (Office).

The same were checked on same basis before consolidation and were found to be in order vis a vis integrity of accounts is concerned. However, no system has been placed for Audit trail in the Accounting software.

प्र.2 क्या कंपनी के ऋण का जवाब देने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बटे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों

विचारधीन वर्ष में ऐसा कोई लेन-देन नहीं हुआ है।



प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

का उचित लेखा-जोखा है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

Q.2 Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In **case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company**).

प्र.3 क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी, आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

Q.3 Whether **funds (grants/subsidy etc.)** received/receivable for specific schemes from Central/State **Governments or its** agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन
हॉ/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यूडी.आई.एन.: 21506545AAAAIY1888

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

No such transaction has occurred in the year under consideration.

विचारधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को केन्द्र या राज्य सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

During the year under consideration, the Company has not received any funds from central or state government.

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 21506545AAAAIY1888

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, कि भूमि का कितना क्षेत्र अतिक्रमण में है और सारांश में बतायें कि कंपनी ने इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि का अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

आगे सिंदरी इकाई में पूर्व कर्मचारियों द्वारा 3300 क्वार्टरों पर कब्जा किया गया है जिसमें से 3064 क्वार्टरों के लिए माननीय न्यायलय द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया है।

कंपनी ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी है और पीपी एकट के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.

There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6,653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However, the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed.

Further, at Sindri unit, ex-employee have encroached 3300 Quarters, against which Eviction Orders Have been Passed by Learned Court for 3064 Quarters.



The Company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन
हॉ/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021



अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएणडएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मैं दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने उनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मैं दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007545एन
हॉ/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यूडीआईएन नं. 21506545AAAAIY1888

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.09.2021

COMPLIACE CERTIFICATE

We have conducted audit of accounts of M/s. THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED (FCIL) ("the company"), for the year ended as at March 31, 2021, in accordance with the direction/sub-direction issued by the C&AG of INDIA U/s 143(5) of the Act, 2013 and certify that we have complied with all direction/sub-direction issued by us.

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN No. 21506545AAAAIY1888

Place : New Delhi
Dated : 16.09.2021



अनुलग्नक-II

कीर्ति तिवारी महानिदेशक लेखा परीक्षा तथा कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन द्वारा वित्त निदेशक एफ. सी.आई.एल. को भेजे गए पत्र संख्या डी.जी.ए./ए.ए.फ.एण्ड डब्लू.आर.)/ए/सीएस/एफसीआईएल/2021-22/5040 दिनांक 06.12.2021 के पत्र की प्रति:-

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (बी) के अन्तर्गत दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणीयां भेजी जा रही हैं।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।।

भवदीय

ह.

(कीर्ति तिवारी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

संलग्न : यथोपरी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 06.12.2021

APPENDIX-II

Copy of letter No.A report/2-70/DGA/(AF&WR)/A/CS/FCIL/2021-22/5040 received from Kirti Tiwari, Director General Audit (Agriculture, Food & Water Resources) office of the Director General of Audit (Agriculture, Food & Water Resources) New Delhi addressed to Director (Fin), FCIL.

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31st March 2021.

We are sending herewith 'NIL' comments Certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of The Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31st March 2021.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-

(Kirti Tiwari)

Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

Encl : As stated.

Place : New Delhi

Dated : 06.12.2021



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 16 सितम्बर 2021 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सामने नहीं आई है जहाँ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत टिप्पणी की जाये या अनुपूरक लगाया जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06.12.2021

ह०/-

(कीर्ति तिवारी)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)



Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2021.

The preparation of financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16th September 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2021 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143 (6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Kirti Tiwari)

Director General of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

Place : New Delhi
Dated : 06.12.2021

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2021 को)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2021)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

परिसम्पत्तियाँ	ASSETS	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
क) सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण	a) Property, Plant and equipment	1	1,600.94	1,605.83
ख) चालू निवेश नहीं हैं	b) Non-Current investments	2	18,941.49	14,451.49
ग) दीर्घ अवधि ऋण	c) Long-term loans	3	0.31	0.31
घ) अन्य जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	d) Other non-current assets	4	916.91	1,354.27
कुल जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं (क)	Total non-current assets (A)		21,459.65	17,411.90
चालू परिसम्पत्तियाँ	Current Assets			
क) वस्तु सूचियाँ	a) Inventories	5	174.79	174.89
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	b) Financial Assets			
i) ट्रेड एवं अन्य प्राप्त होने योग्य	i) Trade and other receivables	6	80.08	53.99
ii) नगद एवं नगद के बराबर	ii) Cash and cash equivalents	7	45,412.37	40,799.62
iii) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	iii) Short term loans and advances	8	1,387.84	3,846.62
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	c) Other current assets	9	788.82	957.16
बिक्री के लिये वर्गीकृत किये गये जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current assets classified as held for sale	10	92.31	107.62
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)	Total Current Assets (B)		47,936.21	45,939.90
कुल परिसम्पत्तियाँ (क+ख)	Total Assets (A+B)		69,395.86	63,351.80

(जारी/Continued)



तुलन पत्र (31 मार्च, 2021 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2021) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
इकिवटी एवं देयताएं			
इकिवटी			
क) इकिवटी शेयर पूँजी	a) Equity Share capital	11 75,092.39	75,092.39
ख) अन्य इकिवटी	b) Other Equity	12 (11,906.11)	(17,011.36)
कुल इकिवटी (क)	Total Equity (a)	63,186.28	58,081.03
देयताएं			
देयताएं जो चालू नहीं हैं			
क) वित्तीय देयताएं	a) Financial Liabilities	-	-
i) ट्रेड देय	i) Trade payables	13	-
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	a) Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.	-	-
ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया	b) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	557.25	547.09
ख) दीर्घ अवधि प्रावधान	b) Long term Provisions	14 16.00	138.20
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	c) Deferred tax Liabilities (Net)	-	-
घ) अन्य देयताएं जो चालू नहीं हैं	d) Other non-current Liabilities	15 4,150.14	4,100.62
कुल देयताएं जो चालू नहीं हैं	Total non-current Liabilities	4,723.39	4,785.91
चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं	Financial Liabilities	16 7.30	9.56
अन्य चालू देयताएं	Other current Liabilities	17 106.20	159.14
लघु अवधि प्रावधान	Short-term Provisions	18 1,372.69	316.16
कुल चालू देयताएं	Total Current Liabilities	1,486.19	484.86
कुल देयताएं	Total Liabilities (B)	6,209.58	5,270.77
कुल इकिवटी एवं देयताएं	Total Equity and Liabilities (A+B)	69,395.86	63,351.80

(जारी/Continued)



तुलन पत्र (31 मार्च, 2021 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2021) (Continued)

निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ।

Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes

हो/- (एस. कोंगारी)/(S. Kongari)	Sd/- सलाहकार/Advisor	हो/- (जोहन टोपनो)/(Johan Topno)	Sd/- निदेशक/Director	हो/- (निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)	Sd/- निदेशक (वित्त)/Director (Finance)
		डिन/DIN 08758583			डिन/DIN 07965269

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date
कृते मैं. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. Deepak Gulati & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या—007545एन
Firm Registration No.007545N

हो/-
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)
भागीदार/Partner

एम. संख्या/M.No. 506545
यूडीआईएन नं0/UDIN No. 21506545AAAIY1888

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 16.09.2021



लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2021)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2021 को For the year ended 31 March 2021	31 मार्च 2020 को For the year ended 31 March 2020
अन्य आय	Other Income	19	5,214.49
कुल राजस्व	Total Revenue		5,214.49
व्यय	Expenses		
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	20	33.61
वित्तीय लागत	Finance cost	21	1.63
मूल्यांकन एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortisation expenses	22	9.66
अन्य व्यय	Other Expenses	23	3,513.34
कुल व्यय	Total Expenses		3,558.24
कर एवं विशिष्ट मदों से पहले लाभ/हानि	Profit/ (loss) before exceptional items and tax		1,656.25
विशिष्ट मद	Exceptional items	4,490.00	2,869.63
कर से पहले लाभ/ (हानि)	Profit/ (loss) before tax	6,146.25	5,388.90
असाधारण मद	Extra Ordinary Items	-	-
कर से पहले लाभ	Profit before tax	6,146.25	5,388.90
<u>कर पर व्यय</u>	<u>Tax Expenses</u>		
वर्तमान कर	Current Tax	1,041.00	112.09
आस्थगित कर	Deferred Tax	-	-
पिछले वर्ष कर	Earlier Year Tax	-	-
प्रचालन जारी रखने के अवसर का लाभ/ (हानि)	Profit/ (loss) for the period from continuing operations	5,105.25	5,276.81
अन्य वृहत आय	Other Comprehensive Income	-	-
मदें जो कि लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	Items that will not be reclassified to profit & loss	-	-

(जारी/Continued)



लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए) (जारी)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2021) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2021 को For the year ended 31 March 2021	31 मार्च 2020 को For the year ended 31 March 2021
निश्चित लाभप्रद योजनाओं पर पुनर्परिकलित हानि	Re-measurement losses on defined benefit plans	-	-
आय कर का प्रभाव	Income Tax Effect	-	-
अवधि के लिये कुल वृहत आय	Total Comprehensive income for the period	-	-
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रचालन जारी रखने के लिये)	Earnings per equity share (for continuing operations)	24	
क) मूल	a) Basic	67.99	70.27
ख) द्रवीय	b) Diluted	67.99	70.27
निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित	Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes	25	
अनुसूचियाँ			
हो/- (एस. कोंगारी)/(S. Kongari)	हो/- (जोहन टोप्नो)/(Johan Topno)	हो/- (निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)	हो/- (निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)
सलाहकार/Advisor	निदेशक/Director डिन/DIN 08758583	निदेशक (वित्त)/Director (Finance) डिन/DIN 07965269	निदेशक (वित्त)/Director (Finance) डिन/DIN 07965269

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date
कृते मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. Deepak Gulati & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-007545एन
Firm Registration No.007545N

हो/-
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)
भागीदार/Partner

एम. संख्या/M.No. 506545

यूडीआईएन नं/UDIN No. 21506545AAAIY1888

**NOTE-1
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	पट्टे पर भूमि		स्वामित्व पर भूमि		भवन		जल प्राणी, सीवर एवं निकारी		विविध उपकरण		फर्मिकर कुड़ियां उपकरण क्रमांक		संयंत्र एवं मशीनरी (क्रमांक)		विद्युत उपकरण टाइनिंग	
		Lease hold Land	Free hold Land	Roads & Culverts	Buildings	Water System, Sewerage and Drainage	Equipment	Misc. Equipment	Furniture Fixture and Office Appliances	Plant & Machinery (COM)	Plant & Machinery (COM)	Elec. Instl.	Township	Total			
लागत या मानित लागत	Cost or Deemed Cost																
31 मार्च 2019 को वृद्धि निपटान/समायोजन	At March 31, 2019	181.37	308.54	233.39	2815.83	306.97	0.91	6.83	18.94	13.17	3885.95					योग	
Additions		0	0	-	-	14.72		1.93	1.68			18.33					
Disposal/ Adjustments												0					
At March 31, 2020	181.37	308.54	233.39	2815.83	320.29	0.91	8.76	19.02	13.17	3901.28							
31 मार्च 2020 को वृद्धि निपटान/समायोजन	At March 31, 2020	0	0	-	-	0	0.10	0.65	5.04			5.79					
Additions		0	0	-	-	-178.72		0				-178.72					
Disposal/ Adjustments												0.00					
बिक्री के लिये को रुप मे वर्गीकृत	Classified as held for sale				0												
31 मार्च 2021 को	At March 31, 2021	181.37	308.54	233.39	2815.83	141.57	1.01	9.41	24.06	13.17	3728.34						
संचित मूल्यहास/क्षति	Accumulated Depreciation/ impairment																
31 मार्च 2019 को वर्ष के लिये मूल्यहास निपटान/समायोजन	At 31 March, 2019	72.47	0	227.28	1581.21	320.29	0.90	3.25	11.84	13.17	2230.41						
Depreciation charge for the year	Depreciation charge for the year	1.75	0	0	4.55	0	0	0.90	1.78	0	8.98						
Disposal/ Adjustments	Disposal/ Adjustments	0	0	0	-	-						0.00					
साधारण आक्षण को अतिरिक्त	Transfer to General reserve	0	0	57.10	0.00							57.10					
31 मार्च 2020 को	At 31 March, 2020	74.22	0.00	227.28	1642.86	320.21	0.91	4.95	12.88	13.17	2296.49						
वर्ष के लिये मूल्यहास	Depreciation charge for the year	1.75	0	4.55	0	0.09	0.78	2.48	0	0.00	9.66						
पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यहास निपटान/समायोजन	Depreciation on revaluation	0	0	0	-							0					
बिक्री के लिये रखी परिसम्पत्तियों का संचित मूल्यहास	Disposal/ Adjustments			0	0.00	-178.72						-178.72					
Accumulated Dep. on assets held for sale	Accumulated Dep. on assets held for sale											0					
At 31 March, 2021	At 31 March, 2021	75.97	0.00	227.28	1647.41	141.49	1.00	5.73	15.36	13.17	2127.42						
At 31 March, 2021	At 31 March, 2021	105.40	308.54	6.11	1165.42	0.08	0.01	3.68	8.71	0.00	1600.94						
Net Carrying Value	Net Carrying Value	107.15	308.54	7.04	1172.97	0.08	0.01	3.96	6.07	0.00	1605.83						
At March 31, 2020	At March 31, 2020																





अनुसूची-2
जो चालू निवेश नहीं हैं

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट
Notes Forming Part of Financial Statement for the
Year Ended 31 March 2021

NOTE-2
NON CURRENT INVESTMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
दीर्घ अवधि निवेश इकिवटी में निवेश	Long term Investment Investment in Equity Instruments		
नान-ट्रेड निवेश (जब तक कहा न गया हो अन्यथा अनिवेदित लागत पर)	Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted)		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लिंग में पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	0.10	0.10
घटाएं: दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधन	Less: Provision for diminution in value of long term investment	(0.05) 0.05	(0.05) 0.05
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Trade Investments in Joint Venture Companies (At cost-unquoted)		
पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर 5,000 रु.10/- के प्रत्येक तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लि.) में	Fully paid up equity shares 5,000 shares @ Rs.10 each At Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd)	0.50	0.50
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में प्रत्येक 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 16,667 इकिवटी शेयर	Fully paid up equity shares 16,667 shares @ Rs.10 each at Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.	1.67	1.67
पूर्णतः प्रदत्त इकिवटी शेयर 1,89,39,27000 @ रु.10/- के प्रत्येक (पिछले वर्ष 1,44,49,27,000 @ रु.10/- के प्रत्येक) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में	Fully paid up equity shares 1,89,39,27,000 @ Rs.10 each (Previous year 1,44,49,27,000 @ Rs.10 each) at Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited.	18,939.27	14,449.27
कुल	Total	18,941.49	14,451.49
अनिवेदित निवेश का कुल मूल्य	Aggregate value of unquoted Investment	18,941.49	14,451.49
दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	Aggregation of diminution in value of long term investment	0.05	0.05



अनुसूची-3
दीघं अवधि ऋण

NOTE-3
LONG TERM LOANS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
जब तक कहा न जाय असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured Considered Good unless otherwise stated		
क) ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & Advances		
कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण*	House Building Loan to Employee*	0.31	0.31
*(कर्मचारी नहीं है अर्थात् मर गया है)	*(Employee is no more i.e .He Died)		
ख) कुल	Total	<u>0.31</u>	<u>0.31</u>



अनुसूची-4

अन्य परिस्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-4 OTHER NON CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
क) अग्रिम	(a) Advances		
पूर्तिकर्ता (संदिग्ध समझे गये)	Suppliers (considered doubtful)	338.64	338.68
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(338.64)	(338.68)
पूर्तिकर्ता (खरे समझे गये)	Suppliers (considered good)	-	-
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.76	0.95
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	56.79	56.79
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(56.79)	(56.79)
अन्य (खरे समझे गये)	Others (considered good)	17.22	17.67
प्रतिभूति जमा एनपीडीसीएल	Security Deposit NPDCL	-	-
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/others(Considered good)	69.71	69.71
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (संदिग्ध समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/others(Considered doubtful)	0.24	0.24
घटाएँ: संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful deposits	(0.24)	(0.24)
आय कर एवं टीडीएस (प्रावधान का निवल)	Income Tax & TDS (Net of Provision)	587.46	1,047.60
कुल (क)	Total (a)	675.15	1,135.93
कुल (ख)	Total (b)	675.15	1,135.93



अनुसूची-4

अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं (जारी)

NOTE-4 OTHER NON CURRENT ASSETS (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
ख) अन्य – जमा	b) Others - Deposits		
मियादी जमा खाता (सुख सुविधा कोश)	Fixed deposit Accounts (Amenities Fund)	6.79	6.79
चालू खाता-II सुख सुविधा कोश घटाएँ : संदिग्ध के लिये प्रावधान	Current Account II (Amenities Fund)	5.41	5.41
जमा उत्पादशुल्क विभाग के पास गिरवी	Less: Provision for doubtful	-	-
बकाया किराया-दुकानदार / पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Deposit with (Pledged with Excise Deptt)	38.14	38.14
घटाएँ : संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (considered doubtful)	951.32	946.04
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Less: Provision for doubtful dues	(951.32)	(946.04)
घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Others(considered doubtful)	81.02	79.44
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी बकाया किराया-दुकानदार / पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (खरे समझे गये)	Less: Provision for doubtful dues	(81.02)	(79.44)
घटाएँ: संदिग्ध के बकाया लिये प्रावधान	Lease Rent - Ex-employees	63.65	61.07
किराया/पानी एवं विद्युत प्रभार- पी डी आई एल	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (Considered Good)	99.90	76.88
जमा पर उपार्जित ब्याज	Less: Provision for doubtful dues	-	-
प्राप्त होने योग्य राशि (एन एफ एल)	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	26.05	28.14
योग (ख)	Interest accrued on deposits	1.82	1.29
कुल योग (क+ख)	Amount receivable (NFL)	-	0.62
	Total (b)	241.76	218.34
	Grand Total (a+b)	916.91	1354.27

अनुसूची-5 वस्तु सूचियाँ

NOTE-5 INVENTORIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है)	(As verified and certified by Management)		
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिये प्रावधान	a. Raw Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	- - - -	- - - -
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिये प्रावधान	b. Packing Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	0.78 (0.78) -	0.78 (0.78) -
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) मार्गस्थ सामग्री सामग्री निरीक्षण में प्लांट में अप्रयुक्त स्टोर्स (प्लेटिनम का स्टाक) घटाएँ: अप्रचलन के लिए प्रावधान	c. Stores & Spares (valued at Cost) Goods in transit Goods under inspection Stores unconsumed with Plant (stock of Platinum) Less- Provision for obsolescence	2.12 - - 174.79 (2.12) 174.79	2.12 - - 174.79 (2.02) 174.89
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएँ: अप्रचलन के लिए प्रावधान	Scrap (valued at estimated realisable value) Less- Provision for obsolescence	- -	- -
कुल	Total	174.79	174.89



अनुसूची-6
प्राप्त होने योग्य ट्रेड एवं अन्य

NOTE-6
TRADE AND OTHER RECEIVABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्त होने योग्य हैं	Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	80.01	44.31
असुरक्षित संदिग्ध समझे गये	Unsecured considered doubtful	1,864.83	1,864.83
खरीद आगम (जीएसटी) प्राप्त होने योग्य	Input (GST) Purchase Receivable	0.07	9.68
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	(1,864.83)	(1,864.83)
अन्य प्राप्त होने योग्य	Other receivable	-	-
कुल	Total	80.08	53.99



अनुसूची-7
नकद एवं नकद के बराबर

NOTE-7
CASH AND CASH EQUIVALENTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
बैंक में शेष	Balance with banks in Current accounts	3,499.46	2,693.05
चालू खाता में			
फ्लैक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	1,225.29	1,181.08
अन्य बैंक शेष	Other Bank Balances		
मियादी जमा खाता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम असली परिपक्वता सहित	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	40,538.87	36,781.79
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित और 12 माह से कम के बकाया परिपक्वता के साथ	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months but remaining maturity less than 12 months	-	-
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित (सुख-सुविधा राशि)	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund)	144.92	140.04
चैक/डाप्ट्र हाथ में	Cheques / drafts in hand	-	-
नकद हाथ में	Cash in hand	3.83	3.66
कुल	Total	45,412.37	40,799.62



अनुसूची-8
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम

NOTE-8
SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
जब तक कहा न जाये असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good unless otherwise stated		
क. अग्रिम	(a) Advances		
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.77	0.79
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered good)	32.82	26.40
अन्य (खरे समझे गये) आयकर को दिया गया अग्रिम	Others (considered good) advance paid to income tax	1,267.62	3,722.05
अन्य प्राप्त होने योग्य (संदिग्ध समझे गये)	Other Receivable (Considered doubtful)	-	-
घटाएँ :प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-	-
माल एवं सेवा कर प्राधिकरण के पास बकाया	Balance with Goods and Service Tax Authorities	56.33	65.10
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	6.49	0.49
सरकारी प्राधिकरणों/अन्यों के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/others(Considered good)	23.81	23.81
एच एफ सी से प्राप्त होने योग्य कुल	Receivable from HFC	-	7.98
	Total	1,387.84	3,846.62



अनुसूची-9
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

NOTE-9
OTHER CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
बकाया किराया—दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(considered doubtful)	5.45	5.46
घटाएँ: संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(5.45)	(5.46)
पट्टा किराया—भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	0.24	2.47
बकाया किराया दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि से (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (Considered Good)	5.18	51.19
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent Railway siding	60.96	28.61
जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accrued on deposits	655.20	818.90
पी एफ ट्रस्ट से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from P.F. Trust	1.94	3.44
प्राप्त होने योग्य राशि (ए सी सी)	Amount receivable (ACC)	2.81	2.81
सीजीएसटी नकद बही खाता	CGST Cash Ledger	0.69	10.25
एसजीएसटी नकद बही खाता	SGST Cash Ledger	0.67	10.92
आईजीएसटी नकद बही खाता	IGST Cash Ledger	2.13	10.57
प्राप्त होने योग्य राशि (टी एफ एल)	Amount receivable (TFL)	-	18.00
कुल	Total	788.82	957.16

अनुसूची-10
परिस्थितियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटन के लिये हैं

NOTE-10
TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

परिस्थिति Particulars	01.04.2020 को सकारा मूल्य Gross value as on 01.04.2020	बुद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2021 को सकारा मूल्य Gross value as on 01.04.2021	01.04.2020 को सकारा मूल्य Gross Accumulated depreciation as on 01.04.2020	पुनर्दृश्यकान पर मूल्यहास Accumulated depreciation on Revaluation	हटाने पर मूल्यहास Depreciation on Revaluation	जनरल सेक्षित मूल्यहास Accumulated depreciation on Deletions	01.04.2021 को सकारा मूल्य Gross Depreciation on Revaluation	01.04.2021 को सकारा मूल्यहास Transfer to General Reserve	01.04.2021 को सकारा मूल्य Gross Accumulated depreciation on Deletions	01.04.2021 को सकारा मूल्य Gross Net value as on 31.03.2021 01.04.2020
सड़क एवं पुलियाँ-वित्त वर्ष												
Roads & Culverts - Fy.	104.22	-	-	104.22	101.31				101.31	2.91	2.91	2.91
भवन-वित्त वर्ष												
Buildings - Fy	283.20	10.15	273.05	270.79		9.65		261.14	11.91	12.41		
ऐलेटे साइडिंग												
Railway Sidings	453.71	-	453.71	431.02				431.02	22.69	22.69		
संयंत्र एवं उपकरण												
Plant And Equipment	237.44	23.66	213.78	225.57		22.47		203.10	10.68	11.87		
गेस टर्बोइंजन												
Gas Turbine	-	-	-	-				-	-	-		
जल प्रणाली सीधार												
एवं निकासी												
Water System, Sewage And Drainage	1,069.33	264.75	804.58	1,015.86		251.52		764.34	40.24	53.47		
विविध उपकरण												
Misc. Equipments	49.33	1.51	47.82	49.19		1.43		47.76	0.06	0.14		
फर्माचर, तुड़नार एवं कार्यालय उपकरण												
Furniture, Fixture And Office Appliances	41.34	3.91	37.43	38.46		3.71		34.75	2.68	2.88		
परिवहन गाड़ियाँ												
Transport Vehicles	28.39	2.09	26.30	27.14		1.98		25.16	1.14	1.25		
पुंजीगत स्टोर्स												
Capital Stores	1,004.31	1,004.31	-	1,004.31		1,004.31		1,004.31				
योग												
Total	3,271.27	-	1,310.38	1,960.89	3,163.65	-	1,295.07	-	1,868.58	92.31	107.62	(जारी/Continued)



**The Fertilizer
Corporation of
India Limited**



अनुसूची-10
परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं (जारी)

NOTE-10
TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)														
विवरण Particulars	01.04.2019 को सकल मूल्य Gross Value as on 01.04.2019	बुद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2020 को सकल मूल्य Gross Value as on 01.04.2020	01.04.2019 को सचित मूल्यवात Accumulated depreciation as on 01.04.2019	Depre- ciation on Revaluation	01.04.2020 को सचित मूल्यवात Accumulated depreciation as on 01.04.2020	हटाने पर मूल्यवात Accumulated depreciation on Deletions	जनरल सेविंग्स Transfer to General Reserve	01.04.2020 को सचित मूल्यवात Accumulated depreciation as on 01.04.2020	रिजर्व के स्थानात्र Transfer to General Reserve	जनरल सेविंग्स Transfer to General Reserve	01.04.2020 को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2020	01.04.2019 को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2019
सड़कें एवं पुलियाँ-वित्त वर्ष														
Roads & Culverts - Fy.	104.22			104.22			101.31			101.31		2.91	2.91	
भवन- वित्त वर्ष														
Buildings - Fy	283.20			283.20			270.79			270.79		12.41	12.41	
रेलवे साइडिंग														
Railway Sidings	453.71			453.71			431.02			431.02		22.69	22.69	
सथान एवं उपकरण														
Plant And Equipment	237.44			237.44			225.57			225.57		11.87	11.87	
गैस टर्बाइन														
Gas Turbine	-			-			-			-				
जल प्रणाली शोवर														
एवं निकासी														
Water System, Sewarage And Drainage	1,066.33			1,069.33			1,015.86			1,015.86		53.47	53.47	
विविध उपकरण.														
Misc. Equipments	49.33			49.33			49.19			49.19		0.14	0.14	
फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण														
Furniture, Fixture And Office Appliances	41.34			41.34			38.46			38.46		2.88	2.88	
परिवहन गाड़ियाँ														
Transport Vehicles	28.39			28.39			27.14			27.14		1.25	1.25	
गोपनीय														
Total	2,266.96	-	-	2,266.96	-	2,159.34	-	-	2,159.34	-	107.62	107.62		

(जारी/Continued)



अनुसूची-11
इकिवटी शेयर पूँजी

NOTE-11
EQUITY SHARE CAPITAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
प्राधिकृत	Authorised	80,000.00	80,000.00
रु.1,000/- पति शेयर की दर से 7509,232 इकिवटी शेयर (गत वर्ष रु. 1000/- की दर से 7509,232 शेयर)	8000,000 Equity Shares @ Rs 1,000/-each. (Previous Year 8000,000 Equity Shares @Rs 1,000/-)		
जारी किये गये, अभिदत्त एवं प्रदत्त	Issued, Subscribed and Paid Up		
रु. 1,000/- पति शेयर की दर से 7509,232 इकिवटी शेयर (गत वर्ष रु. 1000/- की दर से 7509,232 शेयर)	7509,232 Equity Shares @ Rs 1,000/-each (Previous Year 7509,232 Equity Shares @ Rs 1000/-each)	75,092.39	75,092.39
	Total	75,092.39	75,092.39

टिप्पणियाँ / Notes:

अनुबंध के अनुसार तुलन पत्र की तिथि से ठीक पहले पिछले पांच वर्षों में बिना नकद प्राप्त किये पूर्णतः प्रदत्त आबंटित शेयरों की कुल संख्या	शून्य
The Aggregate number of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash in the last five years immediately preceding the balance sheet date.	Nil
कम्पनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा बिना भुगतान किये इकिवटी शेयर	शून्य
Equity Shares calls unpaid by Directors and Officers of the Company.	Nil
अंतिम धारक कम्पनी/धारक कम्पनी और उसके सहायक/सहयोगियों द्वारा धारित शेयर	शून्य
Shares held by ultimate holding company/ holding company and their subsidiaries/ associates	Nil

कंपनी के ऐसे शेयरधारक जो कम्पनी के 5 प्रतिशत शेयर से अधिक के धारक हैं।

Shareholders in the company held by each share holder holding more than 5% shares of the Company.

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को As at 31st March 2021		31 मार्च 2019 को As at 31st March 2020	
		शेयरों की संख्या	धारण का %	शेयरों की संख्या	धारण का %
भारत सरकार					
Hon'ble President of India		7509232	99.99%	7509232	99.99%



रिपोर्टिंग के अवधि के आरम्भ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period:-

क. इक्विटी शेयर पूँजी

A. Equity Share Capital

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2020 को बकाया		
Balance as at 1st April 2020	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2021 को बकाया		
Balance as on 31st March 2021	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2021 को बकाया		
Balance as on 31st March 2021	75,09,239	75,092.39



31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

Statement of changes in equity for the year ended 31.03.2021.

क. इक्विटी शेयर पूँजी

A. Equity Share Capital

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2020 को बकाया		
Balance as at 1st April 2020	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year		
31 मार्च 2021 को बकाया		
Balance as on 31st March 2021	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन		
Changes in equity share capital during the year		
31 मार्च 2021 को बकाया		
Balance as on 31st March 2021	75,09,239	75,092.39

(जारी/Continued)



नोट : 12
Note : 12

ख. अन्य इकिवटी
B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रूमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इकिवटी इन्स्ट्रूमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन्द्रिय Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डिस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
अप्रैल 1, 2019 को बकाया Balance as at 1st April 2019	75.69	1,499.48	5.92	(23,811.84)	-	-	(22,230.75)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	(0.32)	-	-	(0.32)
अप्रैल 1, 2019 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 1st April 2019	75.69	1,499.48	5.92	(23,812.16)	-	-	(22,231.07)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
को बदली/रिटेन्ड आमदनी Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़/घटाएं वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	(57.10)	-	5,276.81	-	-	5,219.71
मार्च 31, 2020 को बकाया Balance as on 31st March 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-

(जारी/Continued)



विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रॉमेंट्स	अन्य बृहद आय से इकिवटी इन्स्ट्रॉमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मद्देन्द्रिय Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूँजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डिस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
मार्च 31, 2020 को पुनर्लेखित बकाया							
Restated balance as at beginning of 31st March 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ							
Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2020 को बकाया							
Balance as on 31st March 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36))
जारी बोनस शेयर							
Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ							
Profit for the year	-	-	-	5,105.25	-	-	5,105.25
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापाक आय	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2021 को बकाया							
Balance as on 31st March 2021	75.69	1,442.38	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)



		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)							
विवरण Particulars	प्रतिवर्षीक बकाया 01.04.2018 को प्रारंभिक बकाया अवधि त्रुटिया Changes in accounting policy/prior period errors	लेखा परीक्षा नीति मे परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटिया Changes in accounting policy/prior period errors	01.04.2019 को पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at 01.04.2019	बुद्धि Addition comprehensive Income	अन्य बूहत आय आय	लाभांश को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जराल रिजर्व को अंतरण	31.03.2020 को अंतिम बकाया
आरक्षित पूँजी Capital Reserve	75.69	-	75.69	-	-	-	-	-	75.69
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	2,457.77	-	2,457.77	(865.89)	-	-	(92.40)	-	1,499.48
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होलिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidiy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	(40,289.62)	-	(40,289.62)	16,477.78	-	-	-	-	(23,811.84)
कुल आरक्षित Total Reserves	(37,750.24)	-	(37,750.24)	15,611.89	-	-	(92.40)	(22,230.75)	
		01.04.2019 को प्रतिवर्षीक बकाया अवधि त्रुटिया Changes in accounting policy/prior period errors		बुद्धि Addition comprehensive Income	अन्य बूहत आय आय	लाभांश को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जराल रिजर्व को अंतरण	31.03.2021 को अंतिम बकाया
विवरण Particulars	प्रतिवर्षीक बकाया 01.04.2019	Restated balance as at 01.04.2020	बुद्धि Addition comprehensive Income	अन्य बूहत आय आय	लाभांश को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जराल रिजर्व को अंतरण	31.03.2021 को अंतिम बकाया	Closing balance as at 31.03.2021
आरक्षित पूँजी Capital Reserve	75.69	-	75.69	-	-	-	-	-	75.69
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,499.48	-	1,499.48	(57.10)	-	-	-	-	1,442.38
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होलिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidiy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	(23,811.84)	0.32	(23,812.16)	52,76.81	-	-	-	-	(18,535.35)
कुल आरक्षित Total Reserves	(22,230.75)	0.32	(22,231.07)	5,219.71	-	-	-	-	(17,011.36)



विवरण Particulars	01.04.2019 को प्रारंभिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्ण अवधि त्रुटिया	01.04.2020 को पुनर्लेखित बकाया	बढ़ि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	अंतरण	31.03.2021 को आंतिम बकाया
			Restated balance as at 01.04.2020	Addition	Other comprehensive income	Dividends	Transfer to other income	Transfer	Closing balance as at 31.03.2021
अन्य									
Others									
आरक्षित पूँजी									
Capital Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन	1,518.07	-	1,518.07	-	-	-	-	-	1,518.07
Assets Revaluation Reserve									
अन्य आरक्षित (ओद्योगिक होलिंग पर सब्सिडी)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)									
लाभ एवं हानि विवरण									
Statement of Profit and Loss	(18,535.35)	-	(18,535.35)	5,105.25	-	-	-	-	(13,430.10)
कुल आरक्षित Total Reserves	(17,011.36)	-	(17,011.36)	5,105.25	-	-	-	-	(11,906.11)



अनुसूची-13
ट्रेड एवं अन्य देयताएं

NOTE-13
TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
ट्रेड देयताएं	Trade Payables		
मझको उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.	-	-
मझको उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	557.25	547.09
		557.25	547.09

अनुसूची-14
दीर्घ अवधि प्रावधान

NOTE-14
LONG TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	Provision for employees's benefits	-	-
अन्य	Others		
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	8.52	54.02
ii) नोएडा की भूमि पर जुर्माना व्याज	ii) Penal Interest of Noida land	-	76.70
iii) नेहरू प्लैस फ्लैट धारक (देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है)	iii) Nehru Place Flat owners (Liability Under dispute under Delhi High Court)	7.48	7.48
कुल	Total	16.00	138.20



अनुसूची-15
अन्य देयताएँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-15
OTHER NON CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
अन्य	Others		
पूँजी मर्दें	Capital items	272.95	272.95
		<u>272.95</u>	<u>272.95</u>
अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ	Other long term liabilities		
i) ड्रेड एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	221.19	222.79
ii) प्रतिभूति / बयाना राशि जमा	ii) Security / Earnest money deposit	489.99	474.07
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	101.44	101.54
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (पट्टे पर आवास)	iv) Ex-Employees (Lease accommodation)	2,201.93	2,184.05
v) सांविधिक देयताएँ (गैर विवादित)	v) Statutory liabilities (Undisputed)	88.13	88.13
vi) सीमा शुल्क*	vi) Custom duty*	585.09	585.09
vii) अन्य देयताएँ	vii) Other Liabilities	79.96	68.30
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	109.46	103.70
		<u>3,877.19</u>	<u>3,827.67</u>
		4,150.14	4,100.62

*देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है।

*Liabilities under dispute in respective Court.



अनुसूची-16
देव एवं अन्य देयताएं

NOTE-16
TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
व्यय के लिये लेनदार	Creditor for expenses	4.67	6.92
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit fee payable	2.63	2.64
देय किराया	Rent payable	-	-
		<u>7.30</u>	<u>9.56</u>

अनुसूची-17
अन्य चालू देयताएं

NOTE-17
OTHER CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
प्रतिभूति / बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	58.99	28.84
देय प्रतिभूति व्यय	Security expenses payable	-	31.00
सांविधिक देयताएँ	Statutory liabilities	32.10	58.59
कर्मचारियों का वेतन	Salary for employees	0.71	1.44
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.15	0.15
अग्रिम पट्टा किराया	Advance lease rental	2.85	1.80
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	11.40	37.32
		<u>106.20</u>	<u>159.14</u>



अनुसूची-18
लघु अवधि प्रावधान

NOTE-18
SHORT TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये	(a) Provisions for employees benefit		
प्रावधान			
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	12.31	11.76
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	7.63	7.50
सेनानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	24.54	32.96
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए. आदि)	Others (VSS-TA etc.)	3.12	3.14
बोनस	Bonus	0.20	0.25
(ख) अन्य	(b) Other		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	273.93	134.27
कानूनी मामलों के लिये	Provision for legal cases	-	-
प्रावधान			
आयकर के लिये प्रावधान (निवल अग्रिम कर तथा टी.डी. एस.)	Provision for Income Tax (Net of advance tax & TDS)	1,041.00	116.32
आई बी पी (आई ओ सी एल) को भुगतान के लिये प्रावधान	Provision for payment to IBP (IOCL)	9.96	9.96
		1,372.69	316.16



अनुसूची-19
अन्य आय

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट
Notes Forming Part of Financial Statement for the
Year Ended 31 March 2021

NOTE-19 OTHER INCOME

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
ब्याज से आय	Interest Income		
लघु अवधि जमा	Short term deposits	2,302.19	2,915.06
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank deposits workers amenities fund	4.88	4.45
घटाएँ : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less: Transfer to workers amenities fund	(4.88)	(4.45)
अन्य ब्याज	Other interest	0.02	-
अन्य आय अप्रचालन से	Other non-operating Income		
किराया, विद्युत / जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec/Water charges	91.46	123.97
पट्टे के आवास के किराये	Recovery of lease rent from leased Accommodation	66.18	61.26
की वसूली	Lease rent from MBEL ACC	-	-
एम.बी.ई.एल.(ए.सी.सी.) से पट्टा किराया	Recovery of Licence fee	27.11	21.29
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of rent from land	144.19	76.12
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of Licence fee from ACC (Rly. Siding)	341.03	299.48
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस	Water charges received from PDIL	1.12	1.23
(रिले र साइडिंग) की वसूली	Misc Income	3.50	42.14
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Income from Security Services	30.22	28.23
अन्य आय	Income from Coal	-	132.80
सुरक्षा सेवाओं से आय	Other petty income	572.32	214.53
कोयले से आय	Receipt of Bid value	29.65	-
अन्य लघु आय	Rental Income from Cylinder	4.83	4.83
सिलेंडर के किराये से आय	Provision no longer required written back	129.31	315.65
बिड मूल्य की प्राप्ति	Profit on sale of Fixed Assets (net of assets scrapped)	205.00	0.95
वापस लिया गया प्रावधान जो नहीं चाहिए	Prior period Income (refer note 23)	2.83	27.42
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	Profit on sale of Fixed Assets	1,263.53	-
(निवल स्कैप परिसम्पत्तियों)	Sale of Horticultural Products, dry logwoods & Ash	-	0.77
पूर्व अवधि आय (संदर्भ नोट 23)		5,214.49	4,265.73
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ			
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी			
और राख की बिक्री			



अनुसूची-20
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

**NOTE-20
EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	26.99	30.60
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.82	0.95
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	0.38	1.22
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	4.66	5.00
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	0.20	0.13
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	0.56	1.20
कुल	Total	33.61	39.10

अनुसूची-21
वित्तीय लागत

**NOTE-21
FINANCE COST**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
अन्य व्याज (सेवा कर/जीएसटी पर)	Other Interest (on Service tax/GST)	1.33	0.34
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर व्याज	Interest on delayed payment of advance tax	-	-
बैंक प्रभार	Bank charges	0.30	0.30
कुल वित्तीय लागत	Total Finance Cost	1.63	0.64



अनुसूची-22
मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय

NOTE-22
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यहास	Depreciation on Property Plant & Equipment	9.66	8.98
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यहास	Depreciation on Investment Property	-	-
		9.66	8.98



अनुसूची-23
अन्य व्यय

NOTE-23
OTHER EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity & Water charges	18.26	51.92
किराया	Rent	6.50	7.08
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	143.90	203.97
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	567.24	570.79
बीमा	Insurance	0.39	0.39
दर एवं कर	Rates & Taxes	59.08	71.46
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	107.90	109.61
कानूनी एवं वृत्तिक व्यय	Legal & Professional Expenses	91.42	488.47
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	18.99	26.09
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.17	0.25
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	News papers & periodicals	1.19	6.20
गैरस्ट हाउस प्रभार	Guest House Expenses	0.05	0.94
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	3.26	3.88
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	0.64	1.02
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges of NOIDA land	9.23	4.26
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	3.89	3.93
<u>यात्रा पर व्यय:</u>	<u>Travel Expenses:</u>		
निदेशक	Director	1.28	2.84
अन्य	Others	14.80	17.90
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenes on vehilcles	0.09	0.06
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	-	0.36
विज्ञापन	Advertisement	-	0.30
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	9.96	13.23
पूर्व अवधि व्यय	Prior period expenditure	1,986.34	10.60
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on rehabilitation study	0.07	0.11
अन्य व्यय	Misc. Expenses	21.12	36.77

(जारी/Continued)



अनुसूची-23
अन्य व्यय (जारी)

NOTE-23
OTHER EXPENSES (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
		As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
लेखा परीक्षकों को भुगतानः	Payment to Auditors:		
लेखा परीक्षकों के रूप में	As Auditor		
क) लेखा परीक्षा फीस	a) Audit Fee	2.41	2.41
ख) कर लेखा परीक्षा फीस	b) Tax Audit Fee	0.47	0.47
ग) खर्चों का पुनर्भुगतान	c) Reimbursement off Expenses	-	-
परामर्श शुल्क – पीडीआईएल (पुनर्भगतान का निवल)	Consultancy charges- PDIL (Net of reimbursement)	6.13	1.08
कोयले की बिक्री पर व्यय	Expenditure on sale of Coal	-	10.28
सीजीएसटी पर व्यय	Expenditure of CGST	8.68	3.62
आईजीएसटी पर व्यय	Expenditure of SGST	8.68	3.62
एसजीएसटी पर व्यय	Expenditure of IGST	0.10	0.13
सेस पर व्यय	Expenditure of CESS	-	43.11
लाईसेंस फीस	Filling and licence fee	4.31	0.59
को परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से हानि	Loss on Assets transferred to HURL	13.24	-
एमएसटीसी पर कमीशन	Commission on MSTC	4.68	-
भुगतान आयकर विभाग	Payment to income tax	387.71	-
आयकर सी एस आर कार्यों पर व्यय	Expenditure on CSR Activities	11.16	-
कुल	Total	3,513.34	1,697.74
पूर्व अवधि मद्देन्द्र	Prior Period Items		
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	-	0.08
उत्पाद शुल्क/बिक्री कर	Excise duty / Sales tax	-	-
कानूनी एवं वृत्तिक	Legal & Professional	1.17	0.76
आयकर को भुगतान (पूर्व अवधि)	Payment to Income Tax (Prior period)	1,966.15	-
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	-	-
अन्य व्यय	Other Expenses	19.02	9.76
कुल	Total	1,986.34	10.60
आय	Income		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	2.83	27.42
कुल	Total	2.83	27.42

महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण का भाग हैं।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) जहाँ तक अधिसूचित है के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वैशन के अंतर्गत, कुछ वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स को छोड़कर जो कि उचित मूल्यों पर आँके जाते हैं, उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। इण्ड ए एस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, कंपनी नियम 2015 इण्डियन एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड के नियम 3 और उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियम के साथ पढ़ें।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष सहित और यहाँ तक कि अवधियों के लिये ग्रुप ने अपने वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित, कम्पनी नियम 2014 इण्डियन जी ए ए पी के पैरेग्राफ 7 के साथ पढ़ें, लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये पहली बार इण्ड ए एस के अनुसार तैयार किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, एफ.सी.आई.एल.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH, 2021.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies which are being consistently followed.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') (to the extent notified). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the relevant amendment rules issued thereafter.

For all periods up to and including the year ended 31st March 2018, the Group prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended 31st March 2019 are the first the Company has prepared in accordance with Ind AS.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis. Accounts have been finalized on the basis of going concern



की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

पूर्णांकित कारण

इन वित्तीय विवरणों में राशियों के जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो दो दसमलव अंक तक पूर्णांकित किया गया है।

राशि का पूर्णांकन

इन वित्तीय विवरणों में राशि को, जब तक इंगित न किया जाये, लाख रूपये के दो दसमलव अंक तक पूर्णांकित किया गया है।

II. अनुमान का लगाना

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार करने के लिये प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है जो कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखा अनुमान वर्तमान और भविष्य की अवधि के किसी भी संशोधन में भावी रूप से मान्य है।

III. व्यापारिक एकरूपता

(क) इण्ड ए एस 101 के अनुसार पहली बार अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधानों को ग्रुप ने भावी व्यापार एकरूपता के लिये इण्ड ए एस लेखांकन को 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय लिया

after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

ROUNDING OF AMOUNTS

Amounts in these financial statements have been unless otherwise indicated rounded off Rs. in lakh upto to 2 decimal points.

REGARDING AMENTIES

The Assets in these financial statements have been unless otherwise indicated rounded off Rs. in lakh upto to 2 decimal points.

II. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. BUSINESS COMBINATIONS

(a) In accordance with Ind AS 101 provisions related to first time adoption, the Group has elected to apply Ind AS accounting for business combinations prospectively from 1st April 2014. As such, Indian GAAP balances

है। अतः व्यापार एकरूपता से संबंधित इण्डियन जी ए ए पी बकाया जो कि उस तिथि से पहले प्रविष्टि की गई है, सद्भावना (गुडविल) सहित, न्यूनतम समायोजन के साथ आगे लेखित कर दिया गया है। (कृपया टिप्पणी 50 को देखें) ऐसा ही पहली बार अंगीकृत छूट का प्रयोग सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लिये भी किया गया है।

व्यापार एकरूपता को अर्जन पद्धति से लेखांकित किया गया है। अंतरित किये गये प्रतिफल के कुल के रूप में अर्जन के लागत का माप अर्जन के दिनांक से उचित मूल्य, और अर्जन में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित ब्याज की राशि को मापा जाता है। प्रत्येक व्यापार एकरूपता के लिये कंपनी या तो अनियंत्रित ब्याज के अर्जन को उचित मूल्य पर मापने के लिये अथवा अर्जन करने वाले की पहचान हो सकने योग्य निवल परिसम्पत्ति का औसत शेयर चुनती है। अर्जन संबंधी खर्चों को व्यय में दिखाया गया है।

(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार से संयुक्त रूप से व्यवस्था है जहाँ व्यवस्था में पार्टियों का संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है और निवल परिसम्पत्ति में संयुक्त उद्यमों का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये संविदागत सहमति है। यह केवल तभी संभव है जहाँ संबंधित गतिविधियों के विषय में पार्टियों जिनका नियंत्रण में हिस्सा है की सर्वसम्मत सहमति से निर्णय लिया जाता है।

यह पता लगाने के लिये विचार किया गया है कि संयुक्त नियंत्रण वैसा ही है जैसा कि सब्सिडरी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये आवश्यक होता है।

relating to business combinations entered into before that date, including goodwill, have been carried forward with minimal adjustment (Please ref. note 50). The same first time adoption exemption is also used for associates and joint ventures.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Company elects whether to measure the non controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

(ब) Investment in Joint Ventures

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining whether joint control is similar to those necessary to determine control over the subsidiaries.



संयुक्त उद्यम में निवेश को इक्विटी पद्धति द्वारा लेखांकन किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत पर लिया जाता है ताकि अर्जन की तिथि से सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निवल परिसम्पत्ति के ग्रुप शेयर में परिवर्तन को जाना सके। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित विश्वसनीयता को निवेश से ली गई राशि में समाहित किया जाता है और अलग से क्षति के लिये परीक्षण नहीं किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण संयुक्त उद्यम के प्रचालन परिणाम को संस्थागत शेयर के रूप में दर्शाता है। इन निवेशकों के ओ सी आई में किसी भी परिवर्तन को संस्था के ओ सी आई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब संयुक्त उद्यम के इक्विटी में परिवर्तन को सीधे मान्यता दी जाती है, ग्रुप अपने शेयर में किसी परिवर्तन को, जहाँ लागू हो, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को मान्यता देता है। कम्पनी और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन के कारण अप्राप्य लाभ एवं हानि को जहाँ तक हो, संयुक्त उद्यम के ब्याज को विलोपित कर दिया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम की कंपनी के हिस्से का घाटा उसके ब्याज के बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है (जिसके अंतर्गत दीर्घ अवधि ब्याज, सार रूप में, संयुक्त उद्यम में संस्था के सकल निवेश का भाग हैं) संस्था आगे होने वाले अपने हिस्से के घाटे को मान्य करना बन्द कर देती है। अतिरिक्त घाटे, एक सीमा तक, तभी तक मान्य होते हैं जब तक कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो। यदि संयुक्त उद्यम आगे चल कर लाभ दिखाता है, संस्था मान्य न किये गये अपने लाभ के हिस्से के बराबर हानि के हिस्से को लाभ का हिस्सा मानना प्रारम्भ कर देती है।

The entity investments in its joint venture are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognise changes in the Group's share of net assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment individually.

The statement of profit and loss reflects the entity share of the results of operations of the joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the entity's OCI. In addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Group recognises its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

If a Company share of losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture (which includes any long term interest that, in substance, form part of the entity's net investment in the joint venture), the entity discontinues recognising its share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture. If the joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.

संयुक्त उद्यम के कंपनी के कुल लाभ या हानि के शेयर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है। इक्विटी प्रद्विति को लागू करने के पश्चात कंपनी यह निर्धारित करती है कि संयुक्त उद्यम के अंतर्गत क्या क्षति घाटा को दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर कंपनी निर्धारित करती है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि संयुक्त उद्यम में किये गये निवेश से उसे छति हुई है। यदि ऐसा प्रमाण है, कम्पनी क्षति की राशि का परिकलन संयुक्त उद्यम के वसूली योग्य राशि और उसके लिये गये मूल्य के बीच के अन्तर को और तब घाटे को सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा, के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

IV. चालू और चालू नहीं में वर्गीकरण

ग्रुप, तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू/चालू नहीं के आधार पर वर्गीकृत करती है। परिसम्पत्ति को चालू के रूप में माना जाता है जब उसके:-

- मिलने की संभावना हो या बेचने की तैयारी हो या सामान्य विधि से उपभोग करना हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- नकद या नकद के बराबर, जब तक कि विनिमय की पाबंदी न लगाई गई हो या
- नकदी अथवा नकदी के बराबर, जब तक परसंपत्ति के लेन देन पर रोक हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं को निपटारों के लिए उपयोग हो।

The aggregate of the Company share of profit or loss of a joint venture is shown on the face of the statement of profit and loss. After application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on its investment in its joint venture. At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If there is such evidence, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying value, and then recognises the loss as 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the statement of profit or loss.

IV. Current Versus Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Holds primarily for the purpose of trading
- Expects to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent as defined IND AS-7 unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period



अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण चालू नहीं के रूप में है।

देयता चालू के रूप में है जब:

- इसके सामान्य आपरेटिंग चक्र में निपटारा होने की संभावना हो
- इसके प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- इसके रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीने के अन्दर निपटान होने योग्य हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं के निपटान में मतभेद के लिये बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को चालू नहीं के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू नहीं परिसम्पत्तियों और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र, प्रोसेसिंग के लिये अर्जन किये गये परिसम्पत्ति और नकद या नकद के बराबर उनके मान्य होने के बीच का समय है। ग्रुप ने इसके परिचालन चक्र को बारह महीने निर्धारित किया है।

V. राजस्व मान्यता

जब भुगतान किया जाता है, राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कंपनी को आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। राजस्व को प्राप्त हो गये अथवा होने योग्य राशि को परिभाषित संविदागत भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुये सरकार के लिये इकट्ठी की गई कर एवं शुल्क को छोड़ कर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and non-current liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The group has identified twelve months as its operating cycle.

V. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

राजस्व मान्यता से पूर्व निम्नलिखित विशेष मान्यता विधि को भी अपनाना चाहिए:-

- निवेश की गई राशि और ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुये ब्याज से आय औसत समय आधार पर मान्य होता है ; और
- राजस्व तब मान्य होता है जब ग्रुप को भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह साधारणतः तभी होता है जब शेयर धारक लाभांश का अनुमोदन प्रदान कर देते हैं और
- निवेश की गई सम्पत्ति के उपर प्रचालन पट्टे से मिलने वाले किराया के आय का पट्टा निवंधन में स्ट्रेट लाइन पद्धति से लेखित किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में, प्रचालन स्वरूप के कारण, राजस्व में अंतरित किया जाता है।

VI. संपत्ति प्लांट उपकरण (पीजीई)

पिछले जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) में स्वामित्व पर भूमि एवं भवन (सम्पत्ति), निवेशित सम्पत्ति को छोड़ कर, 31.3.2015 को किये गये उचित मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र में लिया गया था। कंपनी ने पुनर्मूल्यांकन की तिथि में सम्पत्ति के उन मूल्यों को लागत के रूप में माना है क्योंकि वे व्यापक रूप से उचित मूल्य से तुलनीय थे। कंपनी ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि 31.3.2015 तक का पुनर्मूल्यांकन अप्रैल 1, 2018 (इण्ड ए एस को प्रभाव में लेने की तारीख) के उचित मूल्यांकन से भिन्न नहीं है इस प्रकार कंपनी ने अप्रैल 1, 2018 को परिसम्पत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र एवं उपकरण के कुछ मदों को इण्ड ए एस के प्रभावी दिनांक से

Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest; and
- Revenue is recognised when the Group's right to receive the payment is established, which is generally when shareholders approve the dividend; and
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.

VI. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT (PPE)

Under the previous GAAP (Indian GAAP), freehold land and buildings (property), other than investment property, were carried in the balance sheet on the basis of fair valuations performed as at 31.03.2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the revaluation since they were broadly comparable to fair value. The Company has also determined that revaluation as at 31.03.2015 does not differ materially from fair valuation as at 1st April 2018 (date of transition to Ind AS). Accordingly, the Company has not revalued the property at 1st April 2018 again. Certain items of plant and equipment have been measured at fair value at the date of transition to Ind AS. The



उचित मूल्य पर मापा गया है। ग्रुप उचित मूल्य को प्रभावी दिनांक अर्थात् अप्रैल 1, 2018 को मान्य लागत मानता है।

अन्य परिसम्पत्तियाँ

- क) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हे 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड़ कर, स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) मूर्त परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।
- ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासांगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।
- घ) मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हे कंपनी 12 माह से अधिक के लिए उपयोग करना चाहती है का पूंजीकरण ए एस-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया गया है।
- ङ) मूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।
- च) सेवामुक्त स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य हासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया

Group regards the fair value as deemed cost at the transition date, viz., 1st April 2018.

Other Assets:

- a) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which have been revalued during the year ended 31st March 2015.
- b) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- c) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- d) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions Accounting Standard-2 (Revised).
- e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost and expenses could be measured reliably.
- f) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

कीमत के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास लागत के 95 प्रतिशत से अधिक का पहले ही कर दिया गया है, उसे वैसे ही बनाये रखा गया है।

VII. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में गिरावट/कमी को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

VIII. मूल्यहास

- क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।
- ख. मूल्यहास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
- ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

IX. वस्तुसूचियाँ

- i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

प्रत्येक उत्पाद को वर्तमान स्थान और स्थिति पर लाने के लागत को निम्न प्रकार से लेखित किया गया है:-

- कच्चा माल : वस्तुसूचियों को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने पर किया गया क्रय लागत

However, where fixed assets are already depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

VII. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VIII. DEPRECIATION

- a) Assets costing up to Rs.5,000/- are fully depreciated in the year of addition.
- b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.
- c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

IX. INVENTORIES

- i) Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

Raw materials: cost includes cost of purchase and other costs incurred in



तथा अन्य लागत सम्मिलित है। लागत का निर्धारण पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर किया जाता है।

- तैयार माल एवं कार्य प्रगति में : लागत में प्रत्यक्ष सामग्री एवं श्रम एवं सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवर हेड्स के अनुपात की लागत, लेकिन उधार लिये गये की लागत को छोड़कर, शामिल है। लागत पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ट्रेड किया गया सामान: लागत में खरीद की लागत एवं अन्य लागत शामिल हैं जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

व्यापार के साधारण तरीके से अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत में से घटाकर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

कंपनी के पास 174.79 लाख रुपये की वस्तुसूचियाँ हैं जो कि तुलन-पत्र में अब तक हैं। इसमें से 174.79 लाख रुपये की प्लेटिनम का भंडार है जिसका मूल्य लागत से कम पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर लिया गया है। प्लेटिनम का मूल्य खरीद की तारीख के बाद से काफी बढ़ गया है। अतः प्लेटिनम के भंडार का पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ है।

पैकिंग सामग्री और स्टोर और पुर्जों के अन्य भंडार को निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा गया है और मूल्य में अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on first in, first out basis.

- Finished goods and work in progress: cost includes cost of direct materials and labour and a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity, but excluding borrowing costs. Cost is determined on first in, first out basis.
- Traded goods: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company has platinum inventory of Rs.174.79 lakh lying as on the date of Balance Sheet. Out of this Rs.174.79 lakh consist of Stock of Platinum which has been valued at lower of cost and net realisable value. The value of platinum has increased substantially since the date of purchase. Therefore, the stock of platinum has not revalued.

The other stock of packing material and stores & spares has been measured at net realisable value and provision has been created for obsolescence in value.

ii) अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल स्टोर्स एवं स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है। केवल इन्हें छोड़ कर:-

क) कोरबा प्लांट में मूल्य, लागत के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और

ख) सिन्दरी प्लांट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रुपये मूल्य का प्लेटिनम भंडार में रखा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लेटिनम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री रसायन, कैटेलिस्ट और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रीकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत के 100 प्रतिशत पर अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

X. गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक को यह आकलन करती है कि परिसम्पत्ति में क्षति होने के क्या कोई संकेत हैं। यदि संकेत हैं या जब परिसम्पत्ति के वार्षिक क्षति जॉच की आवश्यकता होती है तब कंपनी परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि, एक परिसम्पत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट के उचित मूल्य से अधिक को निपटान की लागत और उपयोग में इसकी कीमत में घटाने से प्राप्त होती है। जब तक कि परिसम्पत्ति नकद प्रवाह पैदा न करती हो जो कि अन्य परिसम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों के समूह से वे अधिकतर स्वतंत्र

ii) Obsolescence or depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:

a) In Korba Plant, the inventory value considered at 5% of the cost and

b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 174.79 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost towards obsolescence.

X. IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or



होते हैं, व्यक्तिगत परिसम्पत्ति के लिये वसूली राशि का निर्धारण किया जाता है जब एक परिसम्पत्ति या सी जी यू की कैरिंग राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसम्पत्तियों को क्षति युक्त समझा जाता है और तब उसे वसूली योग्य राशि से कम करके लिखा जाता है।

जो उपयोग में हो रहा है, उसके मूल्य का आकलन करने से पूर्व कर रियायत दर को अपनाते हुये जो समय धन का मूल्य और जोखिम परिसम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को उसके वर्तमान मूल्य में से रियायत दिया जाता है। उचित मूल्य के निपटान की लागत का निर्धारण करने में, वर्तमान बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस प्रकार के किसी लेन-देन की पहचान नहीं हो सकती है तब एक उपयुक्त मूल्यांकन माडल का उपयोग किया जाता है।

ओ सी आई को ले जाये गये पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के साथ पहले पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति को छोड़ कर वास्तुसूचियों की क्षति सहित लगातार प्रचालन में क्षति से हुई हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया गया है। इस प्रकार की सम्पत्ति के लिये पूर्व पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक ओ सी आई में क्षति माना जाता है।

यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई संकेत है कि पहले मानी गई क्षति से हानि अब नहीं है या घट गई हैं, गुडविल को छोड़ कर परिसम्पत्ति के लिये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को निर्धारण किया जाता है। पहले मानी गई क्षति हानि में से यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिये परिकल्पना में कोई परिवर्तन है, केवल तभी पहले मानी गई क्षति हानि को सुरक्षित रखा जाता है। वापसी सीमित है ताकि परिसम्पत्ति की वहन राशि

groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Impairment losses of continuing operations, including impairment on inventories, are recognised in the statement of profit and loss, except for properties previously revalued with the revaluation surplus taken to OCI. For such properties, the impairment is recognised in OCI up to the amount of any previous revaluation surplus.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the

इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई होगी, निवल मूल्यहास का, पिछले वर्षों में परिसम्पत्ति के लिये क्षति हानि को नहीं माना गया था। लाभ या हानि विवरण में इस तरह के वापसी को मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसम्पत्ति को एक पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस स्थिति में, वापसी को पुनर्मूल्यांकन बृद्धि के रूप में माना जाता है।

XI. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.एस.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यन्ति में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

XII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

XIII. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रवधान किया जाता है।

carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

XI. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

XII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000/- in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

XIII. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.



XIV. पट्टे पर

इस बात का निर्धारण कि क्या कोई व्यवस्था (शामिल है) पट्टा है जो पट्टे के प्रारम्भ से पट्टे की व्यवस्था पर आधारित है। व्यवस्था, एक पट्टा है, या समाहित है, यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट सम्पत्ति या सम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था सम्पत्ति या सम्पत्तियों की उपयोग करने का अधिकार देती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदार है

पट्टे को जहाँ पट्टादाता, पट्टे पर दिये गये मदों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से पर्याप्त रूप में बनाये रखता है, को आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाभ-हानि विवरणिका में आपरेटिंग पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदाता है

पट्टों को जहाँ कम्पनी काफी हद तक परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ का स्थांतरण नहीं करती है, को आपरेटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ बशर्ते जो आपरेटिंग पट्टे पर हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल हैं। लाभ-हानि विवरणिका में पट्टों से आय को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर माना गया है। लाभ-हानि विवरणिका में मूल्यहास सहित लागत को व्यय के रूप में माना गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि विवरणिका में तुरंत लिया गया है।

XIV. LEASES

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Where the Company is the lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

Where the Company is the lessor

Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.



XV. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन मूल आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

XV. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.



ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ, सी.सी.ई.ए. के निर्णय का सारांश, को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-
 - i. मार्च 2012 तक भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है।
 - ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरुज्जीवन में भागीदार सार्वजनिक उद्यमों और ई.आई.एल., सी.आई.एल. और सेल को वचनबद्धता फीस के 2500 लाख रुपये एफ.सी.आई.एल. को देने के लिये निदेश देने की स्वीकृति दी है।
 - iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी दी है। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., सी.डब्लू.सी., और आई.ओ.सी. हैं।
 - iv. मै 0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और इन देयताओं पर लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना।
 - v. वर्तमान में नामांकन पद्धति से रामागुण्डम में एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) date 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:
 - I. Approved waiver of GOI loan and interest upto March 2012. Accordingly, the GOI loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13.
 - II. Approved that direction to be given to EIL, CIL & SAIL, and the participating PSUs in the revival to make the payment of Rs.2500.00 Lakh towards commitment fees to FCIL to make the net worth of FCIL positive.
 - III. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, SCCL, BHEL, CWC and IOC.
 - IV. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31st March 2003 with waiver of any interest or penalty imposed on these dues.
 - V. Presently revival/setting up of new plants is in progress, under nomination route, the

संयुक्त उद्यम से मै0 रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) के द्वारा तथा तलचर एकक में गेल, आर.सी.एफ., सी.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल. के संयुक्त उद्यम से मै0 तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) सिंदरी इकाई एवं गोरखपुर इकाई को सीआईएल, एनटीपीसी, आईओसी, एचएफसी एवं एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम मै. हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन (एचयूआरएल) के द्वारा पुनर्जीवित/नया प्लांट लगाने का कार्य प्रगति में है।

- 1.1 एफ.सी.आई.एल. को उसके उपयोगी सम्पत्ति, अवसर लागत, भूमि आदि प्रदान करने के बदले में चरणबद्ध रूप से इकिवटी शेयर उस सीमा तक जारी किये जायेंगे कि अन्य पी.एस.यू. इकिवटी पूँजी के लिये नगद में इकिवटी शेयर इस प्रकार से योगदान करेंगे कि एक समय अवधि के पश्चात जे.वी.सी. में एफ.सी.आई.एल. की इकिवटी हिस्सा प्रोजेक्ट के व्यावसायिक उत्पादन होने के समय प्रोजेक्ट के पूँजी व्यय के इकिवटी भाग का 11 प्रतिशत हो जायेगा।
- 1.2 रामागुण्डम प्लांट का जीरणोद्धार जिसे आरसीएफएल द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 22.03.2021 से प्लांट में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

अगस्त 2021 के अंत तक एच.यू.आर.एल. द्वारा गोरखपुर इकाई का 99.3 प्रतिशत और सिंदरी इकाई का 76 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

तलचर इकाई का जीरणोद्धार मैं तलचर फर्टिलाइजर लि. (टीएफएल) के द्वारा किया जा रहा है। एल एस टी के ठेके और कोक गैसीफिकेशन एंव अमोनिया प्लांट के लिए आदेश जारी किए गए हैं। निमार्ण कार्य प्रगति पर है।

Ramagundam Unit is being arrived by M/s Ramagundam Fertilizer and Chemicals Ltd.(RFCL) a Joint Venture of NFL, EIL & FCIL and Talcher Unit by M/s. Talcher Fertilizer Limited (TFL) a Joint Venture of GAIL, RCF, CIL & FCIL. Sindri Unit and Gorakhpur Unit by M/S Hindustan Urvarak and Rasayan Limited (HURL) a joint ventures of CIL, NTPC, IOCL, HFC and FCIL.

- 1.1 As a consideration to FCIL for providing usable assets, towards opportunity cost, land use etc. FCIL shall be issued equity shares in phases, in proportion to the extent the other PSUs contribute equity shares towards the equity capital in cash, such that, over a period of time, the equity holding of the FCIL in JVC will be 11% of the equity portion of the capital expenditure of the project at the time of commencement of the commercial production of the project.
- 1.2 The unit at Ramagundam is being revived by M/s RFCL has started commercial production w.e.f. 22.03.2021.

HURL has achieved an overall physical progress of 99.30% at Gorakhpur and Sindri has achieved an overall physical progress of 96% by the end of August 2021.

Talchar unit being revival by M/s Talchar Fertilizer Limited (TFL), ordrs have been placed for the LSTK contactor for Coal Gasification and Ammonia plants. Site preparation is under progress.



वर्ष 2020-21 के दौरान कम्पनी ने, एम एस टी सी द्वारा, पी डी आई एल की मदद से कोरबा इकाई की अपुनयोगी मंदों को बेचकर रु. 13.43 करोड़ और सिंद्री इकाई की “बाउल मिल” को ई-निलामी के माध्यम से बेचकर रु. 2.05 करोड़ रूपये प्राप्त किए।

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूँजीगत चालू कार्य

- कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखण्ड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, अनुमानित मूल्य 14.11 लाख रूपये लगाया गया है।
- कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ. सी.आई.एल. द्वारा अर्जित की गयी है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/ उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/ 2005- एफ. सी. आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरुज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सुविधा पत्र माँगा है।
- सरकार लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रूपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।
- तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच.

In 2020-21 The company has realised Rs.13.43 Crore from disposal of unusable items from Korba Unit & Rs.2.05 Crore from sale of bow-mill of Sindri unit through e-auction by MSTC with the assistance of PDIL.

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

- Out of total land of 6652.61 acres at Sindri, 112 acres received from Govt.of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs. 14.11 Lakh at notional value as per guidelines of Department of Public Enterprises.
- Land measuring 907 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the FCIL DoF. Vide DO NO. 18021/02/2005-FCI dated 25.11.2011, DOF sought a letter of comfort from the Govt. of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.
- As per the guidelines of Government Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs. 18.64 Lakhs received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.
- At Talcher Unit, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344

डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

5. तलचर में एफ.सी.आई.एल की 933.60 एकड़ भूमि है जो कि राज्य सरकार से वर्ष 1971 और 1979 के बीच प्राप्त हुई है।
6. गोरखपुर एकक में कम्पनी को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान कम्पनी द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को राज्य सरकार द्वारा दी गई थी।
7. डी ओ एफ और एम एच ए के बीच हुए दिनांक 5.2.2014 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर एकक में कुछ भवन और मकान सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) को दिये थे। जैसा कि डी.ओ.एफ. और एम.एच.ए के बीच समझौता हुआ था, यूनिट के मै. एच.यू.आर.एल. द्वारा पुनर्जीवन को ध्यान में रखते हुये एस.एस.बी. को लगभग 124 एकड़ में समायोजित करने की सलाह दी गयी है। गोरखपुर में 598.22 एकड़ और सिंदरी में 695 एकड़ भूमि एफसीआई द्वारा एचयूआरएल को लीज पर दी गई है।
8. रामगुण्डम एकक में 1971 से 1989 तक के वर्षों में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से भूमि निःशुल्क प्राप्त हुई है और इसका कलिपत मूल्य 4.59 लाख रुपये है। लोक उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है। सीसीई से मंजूरी मिलने पर भूमि को प्लांट के पुनर्जीवन के लिए मै. आरएफसीएल को लीज पर दिया गया है।

quarters received from HWP under mutual agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

5. At Talcher Unit, FCIL has 933.60 acres land which was received from State Government between 1971 and 1979.
6. At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project. Out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 Lakh had been paid to the Government by Company and the balance 60% valued at Rs.32.67 Lakh was given by the State Government.
7. Certain buildings and quarters have been given to Sashastra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5.2.2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the Unit by M/s HURL, SSB has been advised to accommodate themselves in an area of around 124 acres as was agreed between DOF and MHA. The land leased by FCIL to M/S HURL at Gorakhpur 598.22 acres & at Sindri it is 695.00 acres.
8. At Ramagundam Unit, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. is free of cost and notionally valued at Rs.4.59 Lakh. As per guideline of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve. The land is leased to M/S RFCL for revival as approved by CCEA.



- नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को नोएडा प्राधिकरण द्वारा 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आबंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सैक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में कम्पनी के कब्जे में है।
- दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को एफ.सी.आई.एल. और पी.डी.आई.एल. द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार और उर्वरक विभाग की मंजूरी के बाद भूमि जो पी.डी.आई.एल. के उपयोग में थी और उनकी सिंदरी इकाई की अचल संपत्ति थी दिनांक 30.04.2019 को “जैसा है जहाँ है” आधार पर एफ.सी.आई.एल. को सौंप दिया गया है। इसे कंपनी के खाते की पुस्तकों में नहीं लिया गया है।

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

- चालू देयताओं में उन 3 कर्मचारियों (पिछले वर्ष 3 कर्मचारी) के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 55.61 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68.17 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यों के कारण 31.03.2021 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2021 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- अन्य ट्रेड देय में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

- At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.
- In pursuant to the MOU signed by FCIL and PDIL on 6th September, 2017 and subsequent approval of DOF the land that was under the utilisation of PDIL and the fixed assets of PDIL, Sindri Unit have been handed over to FCIL, on 30.04.2019 on “AS is Where is” basis. It has not been taken into books of account of FCIL.

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

- Current liability includes provision for employees benefits in Note-18 an amount of Rs.47.82 lakh (previous year Rs.56.61 Lakhs) in respect of VSS compensation for 03 employees (previous year 03 employees), whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2021 due to exigencies. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2021 will be accounted for after release of these employees.
- Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakhs (previous year Rs. 5.23 lakhs) in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

3. सिंद्री इकाई की खाता पुस्तकों में 5.48 करोड़ (रु. 1.64 करोड़ स्थाई देयतायें और रु. 3.84 करोड़ आकस्मिक देयतायें) राशि के 9 उत्पाद शुल्क मांग के मामलों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सबका विश्वास” योजना 2019 (विरासत विवाद समाधान) के तहत निपटाए गये हैं। तदपश्चात, वर्ष 2019-20 के दौरान अंतिम निपटारे को समायोजना कर दिया गया है।

ड. निवेश

केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सिंद्री, गोरखपुर, रामागुण्डम और तलचर के पुनर्जीवन के लिये निम्नलिखित निवेश किये हैं-

रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग में अनुपयोगी परिसंपत्ति एवं अवसर लागत के लिए प्राप्त शेयर निम्नलिखित हैं:

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ. सी.एल.) रामागुण्डम को 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर 10,000 इक्विटी शेयर में निवेश किया है और कम्पनी को 10 रुपये प्रत्येक के 10,000 इक्विटी शेयर में आवंटित किये गये हैं। शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त हो गये हैं। फिर भी, वर्ष 2017-18 में आर एफ सी एल ने 92.52 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर एफ सी आई एल को 9.525 करोड़ में योगदान के लिये 10/- रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य पर कम्पनी (आर एफ सी एल) के आर्टिकल आफ एसोसियेशन की शर्तों के अनुसार जारी किये हैं।

3. In Sindri Unit 9 nos of Excise Duty Demand cases amounting to Rs. 5.48 Crore, appearing in the books of accounts (Rs.1.64 Crore as Confirmed Liability and Rs. 3.84 Core as Contingent liability) have been settled under “SABKA VISWAS (Legacy Dispute Resolution) Scheme 2019 noified by Govt. of India. The final settlement has been adjusted during the year 2019-20 accordingly.

E. INVESTMENTS

As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher, following investments are made: -

Ramagundam Units:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and, opportunity cost are under.

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s.Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) of Rs. 10/- each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company and Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued 9.252 equity share of Rs.92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has received 2.327 crores equity share of Rs. 23.27 Crores at Rs. 10/- each in 2019-20 financial year 2.87 crores equity share amounting to Rs. 28.70 crores at Rs. 10/- each and in the current year 2020-21, 4.49 crores equity shares amounting to Rs. 44.90 Crores at Rs. 10/- each



तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने 0.50 लाख रूपये तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रूपये के प्राप्त हुये हैं।

सिंद्री इकाई/गोरखपुर इकाई:

वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने 1,66,670/- रूपये हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एच.यू.आर.एल.) में 10/- रूपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयर में निवेश किये हैं। कम्पनी ने शेयर सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हैं।

च. विविध

- निदेशक मंडल की राय मे सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिस्थितियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
- चूंकि कम्पनी में बहुत समय से उत्पादन प्रचालन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक 31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।
- क. ट्रेड से प्राप्त होने योग्य बकाया भूतपूर्व कर्मचारियों के भुगतान, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखों में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 28.14 लाख रूपये (पिछले वर्ष 28.14 लाख रूपये) अप्रैल 2019 से पुष्टि और मिलान

Talchar Unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd.") and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

Sindri Unit / Gorakhpur Unit:

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs.1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasasyan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs.10/- each. The share certificates have been received by the company.

F. MISCELLANEOUS

- In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
- Since, Company did not have manufacturing operation since long, as per "Companies (Cost Records & Audit) Amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2020-21.
- a) Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.
- b) Balance of Rs.28.14 Lakh (Previous year Rs.28.14 lakh) receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2019. Further, in Sindri Unit,

होने पर निर्भर करता है। साथ ही सिन्दरी एकक में एफ.सी.आई.एल. की भूमि पर पी.डी.आई.एल. द्वारा कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाये गये थे और इनमें से कुछ स्टाफ क्वार्टर एफ.सी.आई.एल. द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं और पी.डी.आई.एल. को इन क्वार्टरों का देय किराया के विषय में अभी समझौता होना है।

4. बिक्री कर का निर्धारण जो (अपील में लंबित हैं उनको छोड़कर) निर्धारण वर्ष 2017-18 तक पूरा कर लिया गया है।
5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2018-19 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश पर आईटीएटी के पास अपील की है। तथापि, आईटीएटी ने निर्धारण वर्ज 2012-13 एवं 2013-14 की अपील का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है और आईटीएटी के इस निर्णय के विरुद्ध आयकर विभाग ने आगे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है।
6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और बी.एस.एस के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बीआईएफ आर द्वारा दिनांक 17.5.2004 और तत्पश्चात, सी सी ई ए के दिनांक 10.8.2011, 9.5.2013 के निर्णय तथा कैबिनेट के 13.07.2016 के निर्णय के अनुसार सभी एकक पुनरुद्धार में हैं जहाँ उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति को पुनरुद्धार कर रहे पीएस यू को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। किये जा रहे हैं तथा जो मद उपयोग में नहीं है उनका निपटान किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय कार्यालय को छोड़ कर स्थायी परिसम्पत्तियों एवं वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यपान नहीं किया जा सका है।
7. कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to AY 2017-18.
5. The Corporate Assessment is completed up to Assessment Year 2018-19. The Income Tax Department is in appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2014-15. However, ITAI has decided appeal for AY 2012-13 & A.Y. 2013-14 in favour of company and Income tax department has further appealed in the Delhi High Court against the order of ITAT.
6. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, and further, following the decision of CCEA on 10.08.2011, 09.05.2013, and Cabinet decision dated 13.07.2016, all the Units are under revival where usable assets have been /are being handed over to reviving JVs and unusable items are disposed of. Therefore, physical verification of fixed assets and inventories could not be carried out except at Central Office.
7. In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount



2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण नहीं किया है।

8. उपयोग में हो सकने वाली परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन (प्लांटों को छोड़ कर)

तलचर एवं रामगुण्डम एकाकों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले लिया गया है। तलचर और रामगुण्डम एकाकों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है।

कम्पनी ने निम्न कंपनियों में निवेश किया है:

- क) रामगुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- ख) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और
- ग) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड

कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनी का कंपनियों में निवेश, जैसा कि इण्ड ए एस-27 में प्रावधान है “वित्तीय प्रतिवेदन के संयुक्त उद्यम में हित” “संयुक्त उद्यम” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कंपनी उपर्युक्त कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों पर संयुक्त नियंत्रण का उपयोग नहीं करती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कंपनी (लेखा) नियम 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

due to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

8. Assets Revaluation of usable assets (except 'Plants')

In Talcher and Ramagundam Units the effect of revaluation of fixed assets has been taken in the financial books in the financial year 2014-15. The revaluation of usable fixed assets was made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and Ramagundam Units respectively.

The Company has made investments in Companies namely

- a) Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited,
- b) Talchar Fertilizers Limited and
- c) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Accounting Standard AS-27 ‘Financial reporting of Interests in Joint Ventures’ as the Company does not exercise joint control over the economic as IND AS-28 investment in joint venture activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 and also have prepared its Standalone Financial Statements as per requirements of the notified accounting standard under section 133 of the

Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

9. पिछले वर्ष के वित्त वर्ष में सांविधिक लेखा परीक्षक का मत था कि अधिनियम की धारा 115 जे बी के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी आय कर का भुगतान करेगी। सी ए जी का यह भी मत था कि बिक्री से प्राप्त धन को पट्टे की अवधि में बांटा जायेगा और एक वर्ष के कर में नहीं लिया जायेगा।

कंपनी ने विशेषज्ञ की राय ली है जो कि यह व्यक्त करता है कि प्राप्त हुई आय, आय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काल्पनिक रूप का है और कर योग्य नहीं है, इसी आधार पर कंपनी ने धारा 115 जे बी के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं किया है और प्रावधान को वापस ले लिया गया है।

10. वर्ष 2020-21 में कंपनी ने कोरबा इकाई की 13.43 करोड़ रुपये की स्थायी परिस्थिति, अनुपयोगी वस्तुएं, वस्तुसूची और सिंदरी इकाई की बाउल मिल मै. एम.एस.टी.सी. के माध्यम से, जैसा है जहाँ है के आधार पर बेचा है। यह बिक्री मै. पी.डी.आई एल से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(I) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- 1) श्री धर्म पाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 22.02.2018 से अब तक।
- 2) श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त), 04.10.2017 से अब तक।

9. In the immediate preceding financial year, the Statutory Auditor was of the opinion that the Company is liable to pay Income-tax under the provisions of Section 115 JB of the Act. Further, the CAG was of the opinion that the sales consideration as received should be distributed over the life span of lease and should not be offered to tax in one year.

The Company has obtained opinion from an expert which *inter alia* states that the income as received in the form of shares from joint venture is hypothetical in nature and is not eligible to tax under the provisions of Income-tax Act, based upon the same, the Company has not paid tax under section 115JB and the same provision has been reversed.

10. During the year 2020-21 the Company has sold fixed assets unusable items and inventory of Korba Divn. through M/s. MSTC Limited to the tune of Rs. 13.43 crores, and bowl mill of Sindri unit in amount to Rs. 2.05 Crore on as is where is basis. The same sales were made based upon the valuation report as received from M/s. PDIL.

G. RELATED PARTY DISCLOSURES

(I) Key Management Personnel:

- 1) Shri Dharam Pal, Chairman & Managing Director, 22.02.2018 till date.
- 2) Shri Niranjan Lal, Director (Finance) 04.10.2017 till date.



- 3) श्री अनिल कुमार वी. पाटिल, निदेशक, 08.9.2016 से अब तक।
- 4) श्री जोहान टोपनो, निदेशक, 20.04.2020 अब तक।

(II) संयुक्त उद्यम कम्पनी

- 1) रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- 2) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड)
- 3) हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं हैं जिसकी रिपोर्टिंग की जाये।

झ. आय पर कर

सरकार द्वारा निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भावी कर योग्य लाभ के आभासी अनिश्चितता के अभाव में मैट क्रैडिट/पात्रता को लेखों में नहीं लिया गया है।

- 3) Shri Anilkumar Vinayak Patil, Director 08.09.2016 till date.
- 4) Shri Johan Topno, Director 20.04.2020 to till date.

(II) Joint Ventures Company

- 1) Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited.
- 2) Talchar Fertilizers Ltd. (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd.)
- 3) Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.

H. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.

I. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainty of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of IND AS 12 income taxes on Income, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

MAT credit/ entitlement has not been recognised in the books of accounts due to absence of virtual certainty of future taxable profit as stated above.

ट. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन जो कि प्रति शेयर अर्जन से संबंधित है जिसकी गणना कर नें के बाद निवल लाभ को उस अवधि में बकाया कुल भारित औसत शेयर में से विभाजित करके प्राप्त किया गया है जो कि इस प्रकार है:

	2020-21	2019-20
इक्विटी शेयर धारक को देय वर्ष का निवल लाभ (लाख रुपये)	5105.25	5385.52
शेयरों की संख्या	75,09,239	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रुपये में)	1,000	1,000
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल (रुपयों में) :	67.99	71.72
द्रवीय (रुपयों में) :	67.99	71.72

J. EARNING PER SHARE

Basic Earnings per share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

	2020-21	2019-20
Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh)	5105.25	5385.52
No. Of Shares	75,09,239	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.)	1,000	1,000
Earning per Share :		
Basic (In Rs.):	67.99	71.72
Diluted (In Rs.):	67.99	71.72

ठ. अतिरिक्त सूचनाएँ

	31.3.2021	31.3.2020
	को	को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

K. ADDITIONAL INFORMATION

	As on 31.3.2021	As on 31.3.2020
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Materials Consumption	Nil	Nil
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

ड. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में 3 मंडल निदेशकों के साथ एक सी आर समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिस से, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में रु. 11.16 लाख का योगदान दिया है।

L. In compliance to section-135(1) of the company Act, 2013 a CSR Committee has been constituted with 3 board director. As recommended by the committee, the company has made a contribution of Rs.11.16



च. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 24 मार्च 2021 को एक अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूचि III में किया है। संशोधित अनुसूचि III के प्रभाग I, II, एवं III 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। समूह वित्तीय विवरणों पर संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

ज. कोविड-19 का प्रभाव कोविड-19 के दुज्ज्ञप्रभाव को रोकने के लिए कंपनी निरंतर प्रयास कर रही है और व्यापार करने में आसानी के लिए कई उपाय कर रही है। 31 मार्च 2021 को वित्तीय गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की राष्ट्रीय वसूली सहित कंपनी ने उन सम्भावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने में महामारी के कारण पैदा हो सकते व्यापार पर परिणामी प्रभाव से उत्पन्न किसी भौतिक बदलाव पर कड़ी निगरानी जारी रखेगी।

छ. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक पाया गया पुनर्वर्गीकृत/ पुनःस्थापित किया गया है ताकि उन्हे चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

lakhs in Prime Minister 'National Relief fund during the year.

M. Recent pronouncements on march 24, 2021, the ministry of Corporate Affairs (MCA) through a notification amended Schedule III of the Companies Act, 2013. The amendment revised division I, II & III of Schedule III and are applicable from April 1, 2021. The group is evaluating the effect of the amendments on its financial statements.

N. Impact of Covid-19. The Company is taking continuous measures to combat the adverse impact of Covid-19 and has implemented manifold measures for ease of doing business. The company has considered the possible effects that may arise due to pandemic in the preparation of the financial statements including the recoverability of carrying amounts of financial and non-financial assets as on 31st march 2021, The company will continue to closely monitor any material changes arising out of future economic conditions and the resultant impact on its business.

O. Previous year's figures have been regrouped/ re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.



द. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

P. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2021	As at 31.03.2020
(I) आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent Liabilities		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित ब्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
बिक्री कर के लिये माँग सम्पत्ति कर के लिये माँग उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि आनुतोषिक**** मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय आयकर मांग निर्धारण वर्ष 14-15** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 13-14** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10*** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 12-13*** आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12*** आयकर की मांग विदेशी तकनीशियन स्क्रेप डीलर को पेय कुल आकस्मिक देयताएं	Demand for Sales Tax Demand for Property Tax Demand for Excise Duty/Customs Estimated amount of contract remaining to be executed Gratuity**** Pending decision of Court/under Arbitration Income Tax demand A.Y. 14-15* Income Tax demand A.Y. 13-14** Income Tax demand A.Y. 09-10*** Income Tax demand A.Y. 12-13*** Income Tax demand A.Y. 11-12*** Income tax demand foreign technicians Amount payable to Scrap dealer Total Contingent Liabilities	2,488.60 16.64 - 104.08 - 3,000.00 1,061.63 - 267.10 4,14,657.92 2,12,616.78 588.21 1,750.02 19.14 - 6,36,757.12	2,488.60 16.64 - 104.08 - 3,000.00 1,061.63 - 267.10 4,14,657.92 2,12,616.78 588.21 1,750.02 19.14 - 6,36,757.12
(II) प्रतिबद्धता	(II) Commitments		
		<u>6,36,757.12</u>	<u>6,36,757.12</u>



*आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है।

**आई.टी.ए.टी. के समक्ष अपील फाइल किया गया है।

****भूतपूर्व कर्मचारी को तदर्थ भुगतान की गई राशि पर आनुतोषिक के भुगतान किये जाने के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई है। इसी अपील के साथ अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों के इसी प्रकार के दावों को एक साथ कर दिया गया है।

*कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कानूनी परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं हैं, कार्यवाही में सफल होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

***कंपनी मांग के लिए प्रयासरत है और कर परामर्शदाता सहित प्रबंधन का विश्वास है कि यह संभव है लेकिन संभावित नहीं है, कार्यवाही में सफल होंगे और इस प्रकार वित्तीय विवरण में देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

***यह तलचर इकाई की देय फीस है जो विवादित है और कोर्ट में लम्बित है।

*Appeal has been filed with ITAT.

**Appeal has been filed with ITAT.

****SLP's filed with Hon'ble Supreme Court against the order of Allahabad High Court for the payment of gratuity on account of adhoc payment to ex-employees. Similar claims of other ex-employees also clubbed with.

*The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

***The company is contesting the demands and the Management, including the tax counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

***It is on Talchar Unit fee payable which is unit dispute under court.



नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिये)

**CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2021)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
		As at 31 March 2021	As at 31 March 2020
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:			
असाधारण आय एवं कर पूर्व निवल लाभ समायोजन के लिये:	Net Profit Before Tax before Exceptional Income	1,656.25	2,519.27
वर्ष के दौरान मूल्यांकन	Adjustments for :-		
एचयूआरजीएल के स्थाई परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर से हानि	Depreciation for the year	9.66	8.98
ब्याज पर व्यय	Loss on transfer of Fixed Assets to HURL	13.24	133.75
ब्याज से आय	Interest Expense	-	0.34
विशिष्ट आय—हस्तांतरण	Interest Income	(2,302.19)	(2,915.06)
पूर्व अवधि व्यय	Others Non Operating Income	(2,912.30)	2,869.63
गैर प्रचालन आय	Perior Period Expenditure	2,372.54	
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for doubtful recovery		(315.65)
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ समायोजन के लिये:	Provision for doubtful debts	9.96	13.23
द्रेड देय में बढ़त / (घटत)	Operating Profit before Current/Non	(1,152.84)	2,314.49
प्रावधान में बढ़त / (घटत)	Current Assets and Liabilities		
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त / (घटत)	Adjustments for :-		
अन्य चालू देयताओं में बढ़त / (घटत)	Increase/(decrease) in trade payables	7.90	(3.72)
गैर चालू ऋण एवं अग्रिम में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) in provisions	934.33	(2,011.24)
द्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) long term liabilities	-	(23.51)
वस्तुसूचियों में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) in other current liabilities	(3.42)	8.99
ऋण एवं अग्रिम में घटत / (बढ़त)	Increase/(decrease) in Non current Loans & Advances	(675.15)	-
अन्य परिसम्पत्तियां जो चालू नहीं हैं में घटत / (बढ़त)	Decrease/(Increase) in trade receivables	(26.09)	24.97
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में घटत / (बढ़त)	Decrease/(increase) in inventories	-	-
प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Decrease/(Increase) in loans and advances	2,458.78	(289.52)
भुगतान किया गया कर/वापसी	Decrease/(Increase) in other non-current assets	437.36	11.26
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद	Decrease/(Increase) in other current assets	168.34	80.24
	Cash generated from Operations	2,149.21	111.96
	Tax paid Paid/Refunds	1,041.00	-
	Net Cash Flow from Operating Activities	1,108.21	111.96

(जारी/Continued)



नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2021) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2021 को As at 31 March 2021	31 मार्च 2020 को As at 31 March 2020
ख. निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह	B Cash Flow from Investing Activities		
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	Proceeds from sale of fixed assets/scrap	15.48	207.90
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	5.79	(3.61)
3 माह से अधिक सचयी जमा में निवेश	Investments in FDR maturity more than 3 Months	(3,806.17)	2,187.26
प्राप्त ब्याज	Interest received	2,302.19	2,915.06
निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchases of Non Current Investments	-	(2,869.63)
निवेश गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	Net Cash flow from Investing Activities	(1,482.71)	2,436.98
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:	C Cash flow from Financing Activities		
इकिवटी शेयरों से प्राप्ति	Proceeds from Equity Shares	-	(376.32)
पूजी एवं डिवेचर की वापसी	Redemption of Capital and Debentures	-	(0.34)
ब्याज / लाभांश की आदायगी	Interest/ Dividend Paid	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद	Net cash from Financing Activities	-	(376.66)
नगद और नगद के बराबर निवल बढ़त / घटत (कखग)	Net Increase /decrease in Cash & Cash equivalents(A+B+C)	374.50	2,172.28
प्रारम्भ में नगद और नगद के बराबर	Opening Cash & Cash equivalent	3,877.79	1,705.51
अंत में नगद और नगद के बराबर	Closing Cash & Cash equivalent	3,503.29	3,877.79
नगद और नगद के बराबर का मिलान	Reconciliation of Cash & Cash equivalent		
बैंकों में बकाया:	Balance with banks in		
चालू खाता में	Current accounts	3,499.46	2,693.05
फलेक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	-	1,181.08
नगद हाथ में	Cash in hand	3.83	3.66
तुलन पत्र के अनुसार नगद एवं नगद बकाया	Cash & Cash Balance as per Balance Sheet	3,503.29	3,877.79

भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार कैश फ्लो विवरणों को अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है। कैश लो विवरण में नकदी एवं नकदी समकक्ष बैंक व हाथ में नकद मांग जमा और नकद समकक्ष शामिल होते हैं। जो अत्यावधि में होते हैं और अत्याकालिक नकद प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Indian Accounting Standard 7 on Cash Flow Statements. Cash and cash equivalents in the Cash Flow Statement comprise cash at bank and in hand, demand deposits and cash equivalents which are short-term and held for the purpose of meeting short-term cash commitments.

(जारी/Continued)



**The Fertilizer
Corporation of
India Limited**

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

**CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2021) (Continued)**

हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)		(जोहन टोप्नो)/(Johan Topno)		(निरंजन लाल)/(Niranjan Lal)	
सलाहकार/Advisor		निदेशक/Director		निदेशक (वित्त)/Director (Finance)	
		डिन/DIN 08758583		डिन/DIN 07965269	

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date
कृते मैं. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. Deepak Gulati & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या—007545एन
Firm Registration No.007545N

हो/-

हो/-	Sd/-
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)	
भागीदार/Partner	

एम. संख्या/M.No. 506545
यूडीआईएन नं0/UDIN No. 21506545AAAIY1888

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 16.09.2021



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)